इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2019-भाद्र 8, शक 1941

खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2019

क्रमांक:- एफ 19-2/2019/बारह-1.- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ख, के साथ पठित धारा 15 एवं धारा 23 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, रेत, (खनन परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

अध्याय - एक

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.-
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 है।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।
 - (3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67);
 - (ख) "निगम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित;
 - (ग) "जिला खनिज प्रतिष्ठान" के वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं;
 - (घ) "प्ररूप " से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न प्ररूप;
 - (ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
 - (च) "ग्राम पंचायत", "जनपद पंचायत", "जिला पंचायत" और "ग्राम सभा" के क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए है;
 - (छ) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी, जो इन नियमों के अधीन रेत खदान मंजूर करने के लिए आशय पत्र जारी करने और अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
 - (ज) "रेत खिनज" से अभिप्रेत है, साधारण रेत, बजरी जैसा कि खान एवं खिनज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ड.) में परिभाषित किया गया है;
 - (झ) "नगरपालिका" के वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं;
 - (ञ) "विहित" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश:

- (ट) "भण्डारण अनुज्ञिति" से अभिप्रेत है, रेत खनिज के भण्डारण एवं व्यापार हेतु इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञिति;
- (ठ) "भण्डारण स्थल" से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान, जहां व्यावसायिक प्रयोजन हेतु रेत खनिज का भंडारण किया जाता है;
- (ड) "नगरीय निकाय" से अभिप्रेत है यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद:
- (ढ) "जल उपभोक्ता संथा" के वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं;
- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।
- 3. निर्बंधन.- खनिज रेत के संबंध में निम्नलिखित निर्बंधन लागू होंगे,-
 - (1) विहित अभिवहन पारपत्र के बिना कोई भी वाहन स्वीकृत खदान अथवा भण्डारण स्थल से खनिज रेत का परिवहन नहीं करेगा
 - (2) अभिवहन पारपत्र में सारवान प्रविष्टि (जैसे खनिज की मात्रा, परिवहन की तारीख/समय, गंतव्य स्थल तक पहुंचने में लगने वाला समय, आदि) के बिना कोई भी वाहन परिवहन नहीं करेगा।
 - (3) विधिमान्य ठेकेदारों के अलावा कोई भी व्यक्ति, वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु अथवा वाणिज्यिक निर्माण कार्य में उपयोग करनें के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज रेत का भण्डार करने के लिए अनुज्ञात होगा।
 - (4) जीपीएस या समतुल्य तकनीक की यथा विहित मशीन स्थापित किए बिना रेत परिवहन में संलग्न वाहन, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख के पश्चात्, प्रतिषिद्ध होंगे।

- (5) भारत सरकार द्वारा जारी सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइड लाईन्स, 2016 में उपबंधित किए गए अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र से रेत निकालना अथवा हटाना प्रतिषिद्ध होगा,-
 - (क) किसी पुल से 200 मीटर के भीतर;
 - (ख) किसी जल प्रदाय योजना या जल संसाधन योजना के 200 मीटर धारा के प्रतिकूल (अपस्ट्रीम) तथा अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) क्षेत्रों के भीतर ;
 - (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेल्वे लाईन के किनारों से 100 मीटर के भीतर ;
 - (घ) किसी नहर, जलाशय या भवन से 50 मीटर के भीतर ;
 - (ङ) राजकीय राजमार्ग के किनारों से 50 मीटर तथा अन्य ग्रामीण सड़क के किनारों से 10 मीटर के भीतर;
 - (च) कोई भी क्षेत्र, जो कि बाढ नियंत्रण हेतु निर्मित किए गए हैं, से निर्धारित दूरी के भीतर;
 - (छ) सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के स्थल से 200 मीटर अथवा अधिनियम/नियम में यथा उपबंधित दूरी के भीतर ;
 - (ज) ऐसे क्षेत्र जो कलक्टर द्वारा पर्यावरणीय या अन्य कारणों से प्रतिषिद्ध घोषित किए गए हैं:

परन्तु अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा के भीतर अनुज्ञा दिए जाने पर संबंधित प्रशासकीय विभाग से अनापत्ति/सहमित प्राप्त होने के पश्चात् विचार किया जा सकेगा।

(6) नर्मदा नदी में स्वीकृत रेत खदानों से मशीनों द्वारा रेत खनन, लदान (लोडिंग) तथा भण्डारण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। अन्य नदियों में स्थित 5.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक की खदानों में से रेत खनन, लदान (लोडिंग) तथा भण्डारण स्थानीय श्रमिकों की समिति से कराया जाएगा तथा 5.00 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली खदानों में रेत खनन, लदान (लोडिंग) तथा भण्डारण के कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य नदियों में रेत खनन के लिए मशीनों के उपयोग की अनुज्ञा आवश्यकता तथा खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति में प्राप्त मंजूरी के आधार पर दी जा सकेगी।

4. छुट.-

(1) पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा शुरू की गई शासकीय योजना या अन्य लाभप्रद कार्यों (स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) के लिए निकटतम स्वीकृत रेत खदान से रायल्टी का भुगतान करनें के उपरांत ही रेत प्राप्त की जा सकेगी। पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा जमा की गई रायल्टी की संपूर्ण रकम, लदान(लोडिंग) एवं परिवहन को छोड़कर, की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर की जाएगी:

परंतु पंचायत/नगरीय निकाय के लिए कार्य ठेकेदार के द्वारा किए जाते हैं, तो उपरोक्त जमा रायल्टी वापस नहीं की जाएगी।

- (2) अनुसूचित जाति, जनजाति के मजदूर, सदस्यों, कारीगरों, ग्रामीण कृषकों द्वारा स्वयं के निवास के निर्माण, मरम्मत, कुँओं के निर्माण व कृषि कार्यों हेतु ग्राम सभा द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर, इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए गए क्षेत्र से एक वर्ष में अधिकतम 10 घनमीटर रेत का उपयोग किया जा सकेगा।
- (3) अनुवांशिक कुम्हारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या ऐसे समूह की सहकारी समिति के सदस्य, जो परम्परागत साधनों से बर्तन, टाइल्स तथा ईंट बनाने में लगे हुए हैं, रायल्टी/प्रशासकीय प्रभार का भुगतान किए बिना ग्राम सभा द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए गए क्षेत्रों से रेत प्राप्त कर सकेंगे।

अध्याय - दो

नवीन रेत खदानों का सीमांकन, घोषित किया जाना एवं समूह बनाया जाना

5. (1) रेत खदानों का सीमांकन - कलक्टर, प्रदेश की निदयों या अन्य स्थानों पर नवीन रेत वहन क्षेत्रों की पहचान करेंगे। डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा इसकी अवस्थिति, राजस्व नक्शे में अक्षांश तथा देशांश सिहत, चिन्हित की जाएगी:

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व से सीमांकित एवं घोषित रेत खदानों में यथा अपेक्षित इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए संशोधन किया जा सकेगा। (2) रेत खदानों का घोषित किया जाना - उपरोक्त उप-नियम (1) के अनुसार चिन्हित रेत खदान, जानकारी/आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त होने पर कलक्टर द्वारा, ऐसी जांच कराए जाने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, घोषित की जाएगी। रेत खदान घोषित किए जाने के पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से अभिमत प्राप्त किया जाएगा एवं इस प्रयोजन के लिए एक औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा:

परंतु यदि संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से 15 दिवस की कालावधि के भीतर यदि कोई अभिमत/परामर्श प्राप्त नहीं होता है, कलक्टर, यह मानकर कि कोई आपत्ति नहीं है, केवल गैर अधिसूचित क्षेत्रों में नवीन रेत खदानें घोषित करेगा:

परन्तु यह और कि यदि संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से नियत कालाविध में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, कलक्टर आपत्ति का निराकरण गुण दोष के आधार पर करते हुए खदान कि घोषित करने की संबंध में समुचित निर्णय लेगा:

परन्तु यह और भी कि अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानें घोषित करने के पूर्व ग्राम सभा की सहमति/अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा :

परन्तु यह और भी कि पूर्व से परिचालित अथवा नीलाम किए गए ऐसे रेत धारित क्षेत्रों को पृथक् से घोषित किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(3) रेत खदानों का समूह बनाया जाना -

- (क) कलक्टर रेत खदानों का समूह बनाएगा। समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान का क्षेत्रफल, सीमाएं, राजस्व नक्शा, खसरा पांचसाला, अक्षांश-देशांश के विवरण सहित प्रस्ताव संचालक को प्रेषित करेगा।
- (ख) जहां तक संभव हो, समूह का गठन भौगोलिक स्थिति और राजस्व सीमा (तहसील, जिला) के आधार पर किया जाएगा।
- (ग) समूह बनाते समय समूह में सम्मिलित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल तथा उसमें रेत की अनुमानित उपलब्ध मात्रा को विचार में लिया जाएगा।
- (घ) कलक्टर द्वारा गठित समूह के भेजे गए प्रस्ताव को संचालक द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

अध्याय- तीन

घोषित रेत खदानों में उपलब्ध मात्रा का प्राक्कलन तथा प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) का निर्धारण

- 6. घोषित रेत खदानों में उपलब्ध मात्रा का प्राक्कलन.-
 - (1) कलक्टर, निगम की सहायता से सीमांकित एवं घोषित रेत खदानों में खदानवार खनन योग्य उपलब्ध रेत की मात्रा का प्राक्कलन करेगा।
 - (2) घोषित रेत खदानों एवं वास्तविक गहराई जहां तक खदान में रेत उपलब्ध है (अधिकतम 3 मीटर गहराई या भू-जल स्तर जो भी कम हो), का गुणनफल ही उस रेत खदान की खनन योग्य मात्रा होगी;
 - उदाहरण:- खदान का क्षेत्रफल 4.000 हेक्टेयर अर्थात् 40,000 वर्ग मीटर वास्तविक गहराई - 2.50 मीटर खनन योग्य मात्रा - 40,000X2.5 = 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष।
 - (3) रेत खदानों में सतह से 3 मीटर तक की गहराई अथवा जलस्तर तक, इनमें से जो . भी कम हो, खनन की अनुमित वैधानिक है। अत: मात्रा का प्राक्कलन करते समय अधिकतम तीन मीटर की गहराई तक ही खनन योग्य मात्रा को आधार माना जाएगा।
 - (4) समूह में सम्मिलित सभी चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों में उपलब्ध रेत मात्रा का योग ही, समूह की कुल खनन योग्य उपलब्ध मात्रा होगी।
- 7. प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) का निर्धारण.-
 - (1) समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान में पृथक्-पृथक् उपलब्ध रेत मात्रा तथा रूपये 125/- प्रति घनमीटर की दर से देय राशि का गुणनफल ही उस खदान का प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) होगा।
 - (2) समूह में सम्मिलित समस्त खदानों की पृथक्-पृथक् प्रगणित प्रारंभिक आधार मूल्य का कुल योग ई-निविदा हेतु उस समूह की प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) होगी।

अध्याय - चार

रेत खदानों के समूह की ई-निविदा की प्रक्रिया एवं कालाविध

- 8. ई-निविदा.- सीमांकित एवं घोषित रेत खदानें समूहवार ई-निविदा के माध्यम से निगम द्वारा निवर्तित की जाएंगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-
 - (1) ई-निविदा के लिए मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग के परामर्श से अधिकृत पोर्टल का उपयोग किया जायेगा तथा आवश्यक शुल्क आदि का भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा।
 - (2) इच्छुक निविदाकर्ता को पोर्टल पर निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकृत उपरांत पंजीकृत व्यक्ति/संस्था को लाग-इन आई.डी. प्राप्त होगी।
 - (3) ई-निविदा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण की तिथि से कम से कम 07 दिन पूर्व प्रकाशित कराई जाएगी।
 - (4) चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों के समूह की निविदा सूचना को पंजीकृत व्यक्ति/संस्था, पोर्टल में प्रदर्शन की तिथि से न्यूनतम 7 दिनों तक देख सकेगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे सम्मिलित होंगे:-

ई-निविदा में सम्मिलित खदानों के समूहों के ब्यौरे

		46	14-17-4-	 	
निविदा	प्रस्तुत	करने की	तिथि	 समय	

ममट नाम/क्रमांक

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)	अक्षांश- देशांश	अनुमानित मात्रा	आधार मूल्य (अपसेट प्राइज)
	_			3	हेक्टयर में	. •	(घनमीटर में)	(रूपए)
1								

(5) इच्छुक पंजीकृत व्यक्ति/संस्था उपरोक्तानुसार विवरण देखने के पश्चात् चाहे अनुसार समूह हेतु निविदा में भाग लेने के पूर्व निगम के साथ प्ररूप-एक में इस आशय का करार निष्पादित करेगा/करेगी कि उसके द्वारा ई-निविदा में सम्मिलित किए जाने वाले समूह में सिम्मिलित रेत खदानों की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर लिया गया है एवं समूह में सिम्मिलित रेत खदानों में उपलब्ध रेत मात्रा, पहुंच मार्ग एवं अन्य सुसंगत बातों का स्वयं समाधान कर लिया गया है। निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई शिकायत/आपित्त अथवा इस संबंध में न्यायालयीन वाद नहीं प्रस्तुत किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात् निर्धारित समय में शोध्यों का भुगतान करने और औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए खदान संचालन हेतु सहमत है। यह करारनामा आनलाईन सहमित के रूप में भी लिया जा सकेगा।

- (6) पंजीकृत व्यक्ति/संस्था चाहे अनुसार एक से अधिक समूह के लिए निविदा प्रस्तुत करनें हेतु पात्र होंगे एवं प्रत्येक समूह हेतु निर्धारित आधार मूल्य की 25% राशि पृथक्-पृथक् आनलाईन ई.एम.डी. के रूप में निगम द्वारा संधारित खाते में जमा करेंगे तो ही निविदा में भाग ले सकेंगे/सकेगी।
- (7) उपरोक्तानुसार जमा की गई ई.एम.डी. की राशि, सफल निविदाकार के मामले में सुरक्षा जमा राशि के रूप में निर्धारित खाते में जमा रहेगी और ठेका अवधि के दौरान अनुबंध के निबंधन और शर्तों का सम्यक रूप से पालन करने एवं खदान के सफलतापूर्वक संचालन उपरांत ठेका अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही वापसी योग्य होगी। इस नियम के उपनियम (8) अनुसार द्वितीय उच्चतम निविदाकार को छोड़कर शेष निविदाकारों की राशि यथास्थिति आनलाईन वापस की जाएगी।
- (8) निविदा प्रक्रिया हेतु समूह की निविदा तिथि एवं समय नियत रहेगा एवं नियत कालाविध का अवसान होने के पश्चात् किसी विनिर्दिष्ट समूह के लिए प्राप्त सभी निविदाएं, निविदा प्रपत्र में उल्लिखित तिथि के अनुसार खोली जाएंगी। प्राप्त निविदाओं में से उच्चतम निविदाकार को निगम द्वारा सफल निविदाकार घोषित करते हुए इसकी सूचना प्ररूप-दो में संबंधित कलक्टर को देगा। इसके अतिरिक्त ऐसे द्वितीय उच्चतम निविदाकार जिसके द्वारा प्रस्तुत निविदा राशि का अंतर उच्चतम निविदाकार से 10 प्रतिशत से अधिक न हो, इसकी सूचना निगम द्वारा संबंधित कलक्टर को भी दी जाएगी। इसके पश्चात् नियम 11 में यथा उल्लिखित प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी।
- (9) निविदा प्रक्रिया में प्रथम आमंत्रण में किसी समूह विशेष की एकल निविदा प्राप्त होने पर उसे निरस्त किया जायेगा एवं खदान समूह की पुन: निविदा आमंत्रित की जाएगी।

- (10) किसी समूह की लगातार दूसरी अथवा तीसरी निविदा में एकल निविदा प्राप्त होती है एवं प्राप्त निविदा समूह हेतु निर्धारित आधार मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक अथवा उससे अधिक हो तो ऐसे एकल निविदकार को सफल निविदाकार घोषित किया जाएगा निगम द्वारा इसकी सूचना कलक्टर को दी जाएगी।
- (11) किसी भी समूह की लगातार तीन बार निविदा प्राप्त न होने नियत आधार मूल्य से कम निविदा प्राप्त होने पर, संचालक कारणों की जानकारी प्राप्त करेगा तथा समस्त ऐसे समस्त कार्य/उपाय जिसमें समूह का पुनर्गठन सम्मिलित है, किए जाएंगे जिससे उस समूह की रेत खदानों के लिए निविदा प्राप्त हो सके।
- 9. निविदा में सम्मिलित रेत समूह की अविध.- समूह की खदानों की ठेका अविध 3 वर्ष होगी, जिसके प्रथम वर्ष की गणना अनुबंध की तारीख से वर्ष के 30 जून तक होगी तथा अंतिम अविध तीसरे वर्ष के 30 जून तक होगी। उदाहरणार्थ:-
 - यदि अनुबंध 05 अक्टूबर, 2019 को निष्पादित किया गया है, समूह की अविधि निम्नानुसार प्रगणित की जाएगी:-

अनुक्रमांक	वर्ष	अवधि
1	प्रथम वर्ष	05 अक्टूबर 2019 से 30 जून 2020 तक
2	द्वितीय वर्ष	01 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक
3	तृतीय वर्ष	01 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक

10. अनुबंध का निर्धारण एवं भुगतान.- (1) निविदा में प्राप्त उच्चतम राशि वार्षिक ठेका राशि होगी एवं ठेके के प्रथम वर्ष में वार्षिक ठेका राशि ही देय होगी। ठेके के द्वितीय एवं , तृतीय वर्ष में वार्षिक ठेका राशि से 10 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा।

उदाहरणार्थ -

समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य

रूपए 18.00 करोड़

उच्चतम प्राप्त निविदा राशि (वार्षिक ठेका राशि)

रूपए 21.00 करोड़

*	क्रमांक	मद	प्रथम वर्ष में देय राशि (रूपए)	द्वितीय वर्ष में देय राशि (रूपए)	तृतीय वर्ष में देय राशि (रूपए)
	1.	वृद्धि का प्रतिशत	-	10%	10%
	2.	वृद्धि राशि	-	2.10 करोड़	2.10 करोड़
	3.	कुल देय राशि	21 करोड़	23.10 करोड़	25.20 करोड़

टिप्पण: - यदि किसी समूह का अनुबंध निष्पादन वर्ष के मध्य में किया गया हो तो ऐसी स्थिति में प्रथम वर्ष का ठेका राशि कार्य करने हेतु प्राप्त समयाविध के अनुपात में आनुपातिक रूप से देय होगा। ठेका राशि का निर्धारण वार्षिक आधार पर किया जाता है एवं उसका 1/12 भाग मासिक राशि होगी यदि किसी ठेके में प्रथम वर्ष के दौरान 7 माह कार्य करने का समय प्राप्त हुआ हो तो वार्षिक राशि को 12 समान भागों में विभाजित किया जाएगा तथा 7 माह की अविध हेतु राशि देय होगी।

- (2) वार्षिक राशि रकम चार समान त्रैमासिक किश्तों में त्रैमास के प्रथम दिवस को अग्रिम में देय होगा। यदि त्रैमास का प्रथम दिवस शासकीय अवकाश हो तो त्रैमासिक किश्त इसके अगले दिन जमा करायी जाएगी। प्रथम किश्त की राशि अनुबंध निष्पादन की तारीख को ही देय होगी। ठेका राशि की गणना एवं भुगतान अनुबंध दिनांक से की जायेगी (प्रथम किश्त की राशि की गणना अनुबंध दिनांक से प्रथम कलेण्डर त्रैमास के अंत तक समानुपातिक रूप से की जाएगी, तत्पश्चात् आगामी किश्तों की गणना कलेण्डर त्रैमास हेतु होगी)।
- (3) समूह में सम्मिलित किसी भी एक या एक से अधिक खदान की वैधानिक अनुमित प्राप्त करने के पश्चात् खनन संक्रिया प्रारंभ करने पर समूह का संपूर्ण वार्षिक ठेकारकम देय होगी।
- (4) ठेका राशि के अतिरिक्त समस्त अन्य कर, शुल्क, शासकीय भुगतान पृथक से देय होंगे।

अध्याय - पांच

रेत खदानों के समूह की ई-निविदा पश्चात कार्यवाही

11. ई-निविदा पश्चात कार्यवाही.-

- (1) कलक्टर, निगम द्वारा घोषित सफल निविदाकार को उच्चतम प्राप्त निविदा राशि की 50 प्रतिशत राशि 03 कार्य दिवस में निगम द्वारा संधारित खाते (निविदा सूचना में यथादर्शित) में जमा करने हेतु सूचना पत्र, जारी करेगा। इस जमा की जाने वाली राशि में सफल निविदाकार द्वारा निविदा से पूर्व जमा की गई ई.एम.डी. राशि सम्मिलित रहेगी। इस राशि से वार्षिक ठेका राशि का 25 प्रतिशत ई.एम.डी. के रूप में संपूर्ण ठेका अविध हेतु सुरक्षित रखी जाएगी एवं शेष 25 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त हेतु मान्य/समायोजित की जाएगी।
 - (2) यदि सफल निविदाकार निर्धारित 03 दिवस की समयाविध में राशि जमा में असफल रहता है, तो सफल निविदाकार कारण विनिर्दिष्ट करते हुए अतिरिक्त समयाविध की मांग का अनुरोध कलक्टर से कर सकेगा। कलक्टर, समुचित कारणों के आधार पर अधिकतम 10 दिवस की अतिरिक्त समयाविध प्रदान की कर सकेगा।
 - (3) सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित समयाविध या बढ़ाई गई समयाविध में देय . राशि जमा करनें पर, कलक्टर 07 कार्य दिवस के भीतर औपचारिकताओं की पूर्ति करनें संबंधी आशय पत्र प्ररूप-तीन में जारी करेगा। समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की वैधानिक अनुमितयां/औपचारिकताएं नियमानुसार प्राप्त/पूर्ण करना होंगी। उच्चतम निविदाकार को आशय पत्र जारी किए जाने के पश्चात दितीय उच्चतम निविदाकार द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. की राशि ऑनलाईन वापस की जाएगी।
 - (4) यदि सफल निविदाकार निर्धारित समयावधि अथवा उपनियम (1) के अधीन यथाविहित बढ़ाई गई समयावधि में उसके द्वारा देय रकम जमा करने में असफल रहता है तो कलक्टर द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि अधिहरण कर लेगा और इसकी सूचना निगम को दी जाएगी तथा उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा की निरस्ती का आदेश कलक्टर द्वारा जारी किया जाएगा।

- (5) यदि उच्चतम निविदाकार देय राशि जमा करने में असफल रहता है, कलक्टर उसकी निविदा निरस्त करेगा। निगम द्वारा पूर्व में सूचित किए गए अनुसार द्वितीय उच्चतम निविदाकार जिसकी निविदा राशि का अंतर, उच्चतम निविदाकार से 10 प्रतिशत से अधिक न हो, को नवीन उच्चतम निविदाकार (सफल निविदाकार) घोषित किया जाएगा। ऐसे सफल निविदाकार को उपनियम (1) के अधीन औचारिकताएं पूर्ण करने का सूचना पत्र जारी किया जाएगा। निर्धारित समयावधि के भीतर राशि जमा करनें पर कलक्टर आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति किए जाने के लिए आशय पत्र प्ररूप-तीन में जारी करेगा।
- (6) नवीन उच्चतम निविदाकार द्वारा उपरोक्त समय के भीतर देय राशि जमा न किए जाने की दशा में समूह के लिए पुन: निविदा आमंत्रित करनें की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- (7) निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात् राज्य शासन किसी जिला विशेष या समूह के लिये आशय पत्र जारी करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कलक्टर के स्थान पर अन्य प्राधिकारी जैसे मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम आदि को अधिकृत कर सकता है। ऐसी स्थिति में समस्त नियमों/निर्देशों एवं अनुबंध में जहां-जहां कलक्टर का उल्लेख इस संदर्भ में किया गया है, वहां-वहां उक्त प्राधिकारी मान्य समझा जाएगा।

अध्याय - छह

वैधानिक अनुमतियां

वैधानिक अनुमितयाँ.- समूह में सिम्मिलित प्रत्येक रेत खदान की वैधानिक अनुमितयाँ /औपचारिकताएं नियमानुसार प्राप्त/पूर्ण की जा सकती है। रेत खदान संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनुमितयाँ (जैसे खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति, जल एवं वायु सहमित आदि) सफल निविदाकार द्वारा प्राप्त की जाएंगी। सफल निविदाकार नियम 14 के अनुसार वैधानिक अनुमितयाँ प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रियायें प्रारंभ कर सकेगे। वैधानिक अनुमितयों के बिना अथवा वैधानिक अनुमित में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने की दशा में उत्खिनत खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति के मुआवजे की राशि संबंधित ठेकेदार से वसूली योग्य होगी। वैधानिक अनुमितयाँ निम्नानुसार हैं :-

(1) खनन योजना-

- (क) आशय पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि में सफल निविदाकार खनन योजना तैयार कराया जाकर अनुमोदन हेतु संबंधित जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। खनन योजना, संचालक द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत व्यक्ति (आरक्यूपी) द्वारा तैयार की जायेगी।
- (ख) खनन योजना में खदान की अवस्थिति (अक्षांश-देशांश), खदान क्षेत्र में उपलब्ध रेत की खनन योग्य मात्रा तथा अन्य विषय जो मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में प्रावधानित हैं का समावेश रहेगा।
- (ग) कलक्टर, खनन योजना का अनुमोदन जिले में पदस्थ तकनीकी अर्हता प्राप्त (भू-विज्ञान/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधिधारी) विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर करेगा और यदि किसी जिले में अर्हता प्राप्त अधिकारी पदस्थ हैं तो ऐसे मामले में खनन योजना का अनुमोदन संबंधित क्षेत्रीय प्रमुख या संचालक द्वारा किया जाएगा।
- (घ) वास्तविक रूप से उपलब्ध/आंकलित मात्रा के अनुसार ही खनन योजना तैयार कराई जायेगी एवं समस्त खनन संक्रिया, खनन योजना के अनुरूप ही की जायेगी।
- (2) पर्यावरण स्वीकृति- सफल निविदाकार अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के पश्चात सफल निविदाकार द्वारा अधिकतम 15 दिवस की कालावधि के भीतर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (3) जल एवं वायु सम्मित- पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् सफल निविदाकार अधिकतम 7 दिवस की कालाविध के भीतर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सम्मित प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुमत मात्रा- खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति, जल एवं वायु सम्मति में नियम, खनन योग्य मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुज्ञेय होगा।

- (5) यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति, जल एवं वायु सम्मति कम की जाती है तो भी खनन योग्य मात्रा के आधार पर वार्षिक देय ठेका राशि में किसी . भी स्थिति में कमी नहीं की जायेगी।
- (6) उपरोक्त सभी वैधानिक अनुमितयां समय-सीमा में प्राप्त की जायेंगी। निगम प्रत्येक समूह के लिए समूह ठेकेदार द्वारा प्राप्त की जाने वाली अनुमितयों का पर्यवेक्षण करेगा। किसी भी विलंब, लापरवाही या अरूचि प्रदर्शित होने की दशा में आशय पत्र निरस्त करने की कार्यवाही शुरू की जा सकेगी।

अध्याय - सात

अनुबंध का निष्पादन एवं खनन संक्रिया का प्रारंभ किया जाना

13. अनुबंध का निष्पादन.-

- (1) सफल निविदाकार समस्त वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण/प्राप्त होने के पश्चात् समूह में सिम्मिलित खदानों के लिए प्ररूप-चार में वार्षिक कार्य योजना, कलक्टर को प्रस्तुत करेगा। सफल निविदाकार, प्ररूप-एक में कलक्टर को इस आशय का बचनबंध प्रस्तुत करेगा कि अनुमत सीमा तक ही खनन किया जाएगा। नियम 14 के उपनियम (2) के अनुसार समूह हेतु प्राप्त उच्चतम निविदा राशि का निक्षेप करेगा और वह समूह में सिम्मिलित किसी विशिष्ट खदान का अनुबंध निष्पादन हेतु तैयार है।
- (2) उपरोक्तानुसार वचनबंध प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिवस के भीतर प्ररूप-पांच में पृथक्-पृथक् खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन कराया जा सकेगा तथा प्रत्येक खदान के लिये प्ररूप-छह में प्रतिभू बंधपत्र भी पृथक-पृथक प्रस्तुत किया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकतायें पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जाएगा।
- (3) सफल निविदाकार, समूह की रेत खदानों से प्रतिमाह निकास की जाने वाली रेत की मात्रा के लिए वार्षिक कार्य योजना ऐसी रीति में तैयार करेगा कि वर्ष हेतु निर्धारित खनन योग्य कुल अनुमत मात्रा की निकासी उस वर्ष में पूरी तरह से कर ली जावे।

(4) यदि किसी त्रैमास में निकास की जाने वाली रेत की मात्रा के लिए देय राशि, उस त्रैमास हेतु संदत्त किश्त राशि से अधिक है तो अतिरिक्त राशि, ठेका किश्त के अतिरिक्त पृथक से संदेय होगी। अन्यथा कलक्टर खनिज परिवहन हेतु अपेक्षित अभिवहन पारपत्र जारी किए जाना रोक देगा। इस प्रकार जमा अतिरिक्त राशि एवं उठाई गई/उठाई जाने वाली मात्रा, वार्षिक ठेका राशि एवं वार्षिक कार्ययोजना अनुसार समायोजन योग्य होगी।

14. खनन संक्रियाओं का प्रारंभ किया जाना.-

- (1) सफल निविदाकार, अनुबंध का निष्पादन तथा पंजीयन के पश्चात् किन्तु खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व कलक्टर को इस आशय की सूचना देगा। खनन संक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात् खदान क्षेत्र में उपलब्ध खनिज मात्रा, पहुंच मार्ग तथा अन्य संबंधित कारणों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं होगीं।
- (2) राशि अनुबंध में उल्लिखित अनुसार निर्धारित तिथि को समूह की ठेका राशि जमा करने की शर्त पर जब भी खदान की वैधानिक अनुमित प्राप्त होती है उनमें खनन संक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। समूह की सभी खदानों की आवश्यक वैधानिक अनुमितयां एक साथ प्राप्त किए जाने की अनिवार्यता नहीं होगी।

15. ठेकों का निरस्त किया जाना.-

- (1) कलक्टर, ठेका समूह में सम्मिलित खदानों के ठेकेदारों द्वारा इन नियमों तथा उसके अधीन निष्पादित अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन, पर्यावरण नियमों का सम्यक् रूप से पालन नहीं करने, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया जाना पाये जाने, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने या अन्य गंभीर त्रृटि किए जाने की स्थिति में नियम तथा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का विस्तृत विवरण देते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा। कलक्टर, ठेकेदार से उल्लंघनों के संबंध में प्राप्त उत्तर का परीक्षण करने के पश्चात् अभिमत सहित प्रस्ताव संचालक को प्रेषित करेगा। संचालक, कलक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर या तो ठेका निरस्त कर सकेगा या सम्यक् रूप से अन्य कोई निर्णय ले सकेगा।
- (2) ठेका निरस्त का ऐसा कोई आदेश हितबद्ध व्यक्ति के विरूद्ध उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

- (3) संचालक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 16. समूह का समर्पण.- ठेकेदार, राज्य शासन को देय समस्त शोध्यों का भुगतान करने के पश्चात्, कलक्टर को किसी भी समय छह माह अग्रिम में सूचना देकर समूह का समर्पण कर सकेगा:

परन्तु, एक बार समूह के समर्पण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् यह अविखण्डनीय होगा तथा राज्य शासन निर्धारित समयाविध में ऐसा समर्पण स्वीकार करेगा तथा ठेकेदार, अनुबंध की निबंधनों एवं शर्तों के अधीन समूह का कब्जा सौंप देगा:

परन्तु यह भी कि, समूह के समर्पण का आवेदन प्राप्त होने पर निगम द्वारा समूह की पुन: निविदा हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

परन्तु यह और भी कि, ठेके के तीसरे वर्ष अथवा अनुबंधित ठेका समाप्ति के छह माह पूर्व समर्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन विचार में नहीं लिया जाएगा।

अध्याय - आठ

निजी भूमि पर रेत का निवर्तन

- 17. निजी भूमि पर उपलब्ध रेत खनिज का निवर्तन/अनुज्ञा.-
 - (1) इन नियमों के लागू होने के पूर्व से मध्यप्रदेश रेत नियम, 2018 के प्रावधानों के अधीन निजी भूमि से रेत खनन हेतु स्वीकृत की गई अनुज्ञा/अनुमित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निरस्त मानी जाएगी। जमा की गई अग्रिम रायल्टी राशि (यदि कोई हो) कलक्टर द्वारा अनुज्ञिसधारी को वापस की जाएगी।
 - (2) अनुबंध की कालाविध के दौरान किसी समूह के वैध ठेकेदार को ही निजी भूमि से भूमि स्वामी से सहमित के आधार पर अतिरिक्त रेत मात्रा के खनन की अनुमित दी जा सकेगी।
 - (3) निकटतम समूह का वैध ठेकेदार निजी भूमि पर उपलब्ध रेत की अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु प्ररूप-सात में कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के

मान से निर्धारित मद में जमा किया जायेगा। आवेदक, आवेदित भूमि का खसरा पांचसाला तथा भूमि स्वामी की सहमित संबंधी शपथ पत्र एवं इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके विरूद्ध रायल्टी अथवा अन्य कोई शासकीय राशि बकाया नहीं है।

- (4) कलक्टर, 1.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण आवश्यक जांच करने के पश्चात् एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर कर सकेगा। जहां आवेदित क्षेत्र 1.00 हेक्टेयर से अधिक हो, वहां कलक्टर, अनुज्ञा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव, संचालक को समुचित निर्णय हेतु प्रेषित करेगा।
- (5) निजी भूमि से प्रदान की जाने वाली अनुज्ञा में मात्रा उस समूह की कुल खनन योग्य मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (6) अनुज्ञा क्षेत्र में उपलब्ध/आंकलित मात्रा की प्रगणित रायल्टी की 50 प्रतिशत के बराबर राशि सुरक्षा राशि के रूप में जमा की जायेगी। यह सुरक्षा राशि देय अग्रिम रायल्टी में समायोजन योग्य होगी। अनुज्ञा क्षेत्र से रेत परिवहन करने हेतु अभिवहन पारपत्र जारी किए जाने की अनुमित अनुज्ञा क्षेत्र में उपलब्ध आंकलित मात्रा की प्रगणित रायल्टी की 50 प्रतिशत राशि जमा करने के पश्चात् दी जायेगी।
- (7) अनुज्ञा की कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (8) अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के अधीन आवश्यक वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ करेगा।
- (9) उत्खिनित रेत खिनज के परिवहन की अनुमित, समूह हेतु प्राप्त उच्चतम निविदा राशि के अनुसार प्रति घनमीटर की दर से अग्रिम भुगतान करने के पश्चात् दी जायेगी।
- (10) अनुज्ञप्ति स्थल से गंतव्य को रेत का परिवहन, अभिवहन पारपत्र के बिना नहीं किया जायेगा।
- (11) खनन हेतु अनुमत मात्रा खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति, जल तथा वायु सम्मति इनमें से जो भी कम हो तक ही सीमित रहेगी। उल्लंघन की स्थिति में स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त योग्य होगी एवं नियमानुसार अतिरिक्त उत्खनित खनिज मात्रा का मूल्य वसूली योग्य होगा।
- (12) निजी भूमि स्वामी को रेत खनन एवं विक्रय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय- नौ

रेत खनिज का भण्डारण

18: रेत खनिज का भण्डारण.-

- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व से प्रदत्त रेत खनिज के भण्डारण की समस्त अनुज्ञप्तियां इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निरस्त समझी जाएंगी। वैध भण्डारित रेत के निपटारे की अनुमित दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के तत्काल बाद एवं अधिकतम 7 दिवस की अविध के भीतर भण्डारण स्थल पर भण्डारित खनिज की मात्रा के ब्यौरे कलक्टर को प्रस्तुत करेगा।
- (2) इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी भण्डारण स्थल पर रेत के नवीन स्टाक का भण्डारण नहीं करेगा।
- (3) कलक्टर ऐसे ब्यौरे प्राप्त करने के पश्चात् भण्डारित रेत की मात्रा की जांच एवं सत्यापन करेगा। अनुज्ञप्तिधारी को 1.00 लाख घनमीटर तक वैध भण्डारित रेत की मात्रा को अधिकतम 30 दिवस की अविध के भीतर हटाने/निपटारे की अनुमित अनुज्ञप्तिधारी को दी जा सकेगी। उक्त निपटारे हेतु विशेष अनुमित दिये जाने की व्यवस्था निगम द्वारा पोर्टल पर की जाएगी। निर्धारित अविध में कोई वृद्धि नहीं की जा सकेगी तथा किसी एक भण्डारण स्थल से अनुज्ञप्तिधारी को एक से अधिक बार अनुमित नहीं दी जा सकेगी।
- (4) यदि भण्डारण स्थल पर भण्डारित खनिज की मात्रा 1.00 लाख घनमीटर से अधिक है तो कलक्टर सत्यापन के पश्चात् अनुशंसा सहित प्रस्ताव संचालक को प्रेषित करेगा। संचालक, परीक्षण तथा कालाविध निर्धारित करने के पश्चात् अनुमित दिये जाने की कार्यवाही करेगा। संचालक, भण्डारित रेत के निपटारे हेतु अधिकतम 90 दिवस की कालाविध प्रदान कर सकेगा।
- (5) उपरोक्तानुसार कलक्टर/संचालक द्वारा प्रदान की गई अवधि में भण्डारण स्थल से संपूर्ण रेत मात्रा का निपटारा नहीं किए जाने की दशा में कलक्टर, शेष मात्रा को राजसात करेगा जिसका निपटारा राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(6) व्यावसायिक प्रयोजन हेतु रेत खनिज का भण्डारण किए जाने की अनुज्ञा समूह के ठेकेदार को किसी भी विधिमान्य खदान के 2 किलोमीटर से परे परन्तु 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर ही प्रदान की जाएगी:

परन्तु विधिमान्य ठेकेदारों से भिन्न किसी व्यक्ति को भण्डारण की अनुज्ञा किसी भी स्वीकृत रेत खदान से 50 किलोमीटर की परिधि के बाहर प्रदान की जायेगी:

परन्तु यह और कि, उपरोक्त प्रतिबंध प्रदेश के भीतर भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर जिलों पर लागू नहीं होंगे:

परन्तु यह और भी कि, उपरोक्त प्रतिबंध के संबंध में यदि कोई व्यावहारिक कठिनाई उद्भूत होती है तो अंतिम विनिश्चय राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।

- (7) भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत किया जायेगा:-
 - (क) प्ररूप-आठ में आवेदन।
 - (ख) इन नियमों के अधीन विहित मद में जमा रूपये 5,000/- आवेदन शुल्क के चालान की प्रति।
 - (ग) भण्डारण स्थल के नवीनतम राजस्व नक्शे एवं खसरा पांचसाला।
 - (घ) भण्डारण स्थल शासकीय भूमि होने की दशा में तहसीलदार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं निजी भूमि होने की दशा में भूमिस्वामी द्वारा दी गई सहमति दर्शाने वाला शपथ पत्र।
 - (ङ) भण्डारण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक का यह कथन करने वाला शपथ पत्र कि उसके विरूद्ध कोई खनिज राजस्व अथवा शासकीय धन बकाया नहीं है।
- (8) कलक्टर, निगम से इस तथ्य की पुष्टि करते हुए, कि भण्डारण स्थल से 50 किलोमीटर की परिधि में कोई भी वैध रेत खदान नहीं है तथा ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।
- (9) अनुज्ञप्ति की अवधि समूह के ठेके की अवधि से अधिक नहीं होगी एवं ठेका निरस्त किए जाने अथवा ठेका समाप्ति की दशा में अनुज्ञप्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- (10) भण्डारण स्थल में भण्डारित रेत, विहित अभिवहन पारपत्र (ई-टीपी) के बगैर अन्यत्र परिवहन नहीं की जाएगी।
- (11) ठेका समाप्त होने अथवा निरस्त होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी भण्डारण स्थल पर उपलब्ध रेत ठेका समाप्ति या निरस्ती की तारीख से एक माह के भीतर हटा लेगा अन्यथा भण्डारण स्थल पर उपलब्ध खनिज को राजसात किया जायेगा। ऐसे राजसात किए गए खनिज का निपटान राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कलक्टर द्वारा किया जायेगा एवं इस प्रकार प्राप्त राशि शासकीय कोषालय में जमा कराई जाएगी।
- (12) निजी निर्माण कार्य (व्यावसायिक प्रयोजन के लिये नहीं) हेतु अधिकतम 20 घनमीटर तथा व्यावसायिक प्रयोजन के लिए निजी निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारों को अधिकतम 50 घनमीटर तक रेत का निर्माण स्थल पर भण्डारण किए जाने हेतु कोई अनुज्ञप्ति आवश्यक नहीं होगी:

परन्तु शासकीय निर्माण कार्य की दशा में निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर कलक्टर प्राक्कलन में स्वीकृत मात्रा की 50 प्रतिशत मात्रा निर्माण स्थल पर भण्डारण किए जाने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा।

19. जमा की जाने वाली राशि.-

- (1) रेत खनिज से प्राप्त संपूर्ण राशि आनलाईन निगम द्वारा संधारित खाते में जमा की जाएगी।
- (2) उपरोक्तानुसार जमा राशि निगम द्वारा माह के अंत में इन नियमों के अध्याय-11 में विहित मदों में अंतरित की जायेगी एवं मदवार विवरण संचालक एवं राज्य शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- (3) विलंबित भुगतान पर 24 प्रतिशत वार्षिक अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिश्चित दर पर ब्याज देय होगा।

अध्याय - दस

रेत का अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण

20. अवैध उत्खनन के मामलों में शास्ति एवं प्रशमन.-

(1) अवैध उत्खनन की जानकारी प्राप्त होने पर कलक्टर अथवा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी खनिज, वाहन, मशीन, औजार आदि जप्त करेगा तथा प्रकरण कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। रजिस्टीकृत प्रकरण के लंबित रहने के दौरान अथवा अंतिम विनिश्चय किए जाने के पूर्व यदि कोई आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तब कलक्टर उत्खनित खनिज की रायल्टी की 25 गुना के समतुल्य राशि जमा कराये जाने के पश्चात् प्रकरण का निराकरण कर सकेगा। इस अवधि में यदि आवेदन पत्र/सहमित प्राप्त नहीं होती है तो कलक्टर उत्खनित खनिज की रायल्टी की 50 गुना शास्ति अधिरोपित करेगा। प्रशमन राशि अथवा शास्ति राशि जमा होने पर जप्त खनिज, वाहन, मशीन, औजार मुक्त किया जा सकेगा:

परन्तु यदि अवैध उत्खननकर्ता द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तब कलक्टर अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी जप्त खनिज, वाहन, मशीन और औजार को राजसात तथा नीलाम कर सकेगा।

(2) अवैध परिवहन के मामलों में शास्ति एवं प्रशमन.- अवैध परिवहन, बगैर विद्यमान अभिवहन पारपत्र के बिना परिवहन तथा अभिवहन पारपत्र में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा के साथ परिवहन किए जाने के पंजीबद्ध प्रकरणों की दशा में कलक्टर, प्रकरणों का निराकरण निम्नानुसार प्रशमन शुल्क अथवा शास्ति की राशि जमा कराये जाने के पश्चात् कर सकेगा:-

क्रमांक	वाहन का प्रकार	i .	बगैर वैध अभिवहन पारपत्र के परिवहन		वैध अभिवहन पारपत्र सहित परिवहन परन्तु अंकित मात्रा से अधिक मात्रा		
		प्रशमन शुल्क	शास्ति की राशि	प्रशमन शुल्क	शास्ति की राशि		

1	ट्रक्टर ट्राली	10,000/-	25,000/-	5,000/-	10,000/-
2	2 एक्सल (छह पहिया वाहन)	25,000/-	50,000/-	10,000/-	20,000/-
3	डम्पर (हाइड्रोलिक छह पहिया वाहन)	50,000/-	1,00,000/-	25,000/-	50,000/-
4	3 एक्सल (दस पहिया वाहन)	1,00,000/-	2,00,000/-	50,000/-	1,00,000/-
5	4-6 एक्सल (दस पहिया वाहन से अधिक)	2,00,000/-	4,00,000/-	1,00,000/-	2,00,000/-

परन्तु ट्रेक्टर ट्राली की मात्रा से अधिक खनिज परिवहन करने वाले चार पहिया वाहन (मेटाडोर, 407, 608 आदि) द्वारा खनिज परिवहन के मामलों में प्रशमन शुल्क एवं शास्ति की राशि ट्रेक्टर ट्राली हेतु निर्धारित राशि से 1.5 गुना से कम नहीं होगी।

(3) अवैध भण्डारण के मामलों में प्रशमन एवं शास्ति.- रेत के अवैध भण्डारण के दर्ज प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रकरण के पंजीबद्ध होने की तारीख से लंबित रहने के दौरान अथवा अंतिम निर्णय लिये जाने से पूर्व तक आवेदन सहमित प्राप्त होने पर कलक्टर, भण्डारित खनिज की रायल्टी की 25 गुना के समतुल्य राशि जमा कराये जाने के पश्चात् प्रकरण का प्रशमन कर सकेगा। यदि इस अवधि में आवेदन पत्र/सहमित प्राप्त नहीं होती है तो कलक्टर, भण्डारित खनिज की रायल्टी की 50 गुना राशि की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परंतु ऐसा कोई आदेश हितबद्ध व्यक्ति के विरूद्ध तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं प्रदान कर दिया गया हो।

अध्याय - ग्यारह

रेत खनिज से प्राप्त राशि का अंतरण

- 21. रेत खनिज से प्राप्त राशि.- रेत समूह की निविदा प्रक्रिया एवं इन नियमों के अधीन प्राप्त संपूर्ण राशि निगम द्वारा संधारित खाते में जमा कराई जायेगी और तत्पश्चात प्रतिमाह वह निम्नानुसार अंतरित की जाएगी:-
 - (1) रूपये 75/- प्रति घनमीटर संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के लिए राज्य शासन को।
 - (2) रूपये 50/- प्रति घनमीटर कलक्टर को उपलब्ध कराए जाने वाले जिला खनिज प्रतिष्ठान की मद में राज्य शासन को।
 - (3) प्रथम वर्ष (वर्ष 2019-20) हेतु निविदा प्रीमियम से प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत निगम द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में एवं अपने स्वयं के व्यय/उपयोग हेतु रखा जायेगा। निविदा प्रीमियम से प्राप्त शेष राशि राज्य शासन में प्रत्येक माह अंतरित की जायेगी। निगम द्वारा रखी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का पुनर्निर्धारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष निगम की आवश्यकता के आलोक में किया जा सकेगा।
 - (4) निजी भूमि पर प्रदान की जाने वाली अनुमित से प्राप्त रूपये 75/- प्रति घनमीटर की राशि संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय को भी आबंटित की जाएगी एवं इस मद के अधीन प्राप्त निविदा प्रीमियम सहित शेष राशि इस नियम के उप-नियम (3) के अनुसार अंतरित की जायेगी।
 - (5) यदि कोई ग्राम पंचायत या नगर पंचायत किसी एक वर्ष में रेत खनिज से रूपये 25 लाख से अधिक आय प्रदान करती है तो शेष राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान के मद में अंतरित की जायेगी। नगर पालिका अथवा नगर निगम के लिए आय की उपरोक्त सीमा लागू नहीं होगी।
 - (6) प्राप्त राशि में से कर/शुल्क आदि संबंधित मद में निगम द्वारा जमा कराये जायेंगे।

अध्याय - बारह

अपील एवं पुनरीक्षण

22. अपील.-

(1) इन नियमों के अधीन कलक्टर द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी . व्यक्ति उसे संसूचित आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर संभागीय आयुक्त को प्ररूप-नौ में अपील प्रस्तुत कर सकेगा। अपीलार्थी रूपए 1,000/- (रूपए एक हजार मात्र) का शुल्क इन नियमों के अधीन उल्लिखित शीर्ष में जमा करेगा तथा आवेदन के साथ मूल चालान संलग्न करेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी द्वारा अपील का आवेदन उक्त अविध के पश्चात् तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि अपीलार्थी, अपील प्राधिकारी को समाधान नहीं करा देता कि उसके पास समय पर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था।

(2) जहां, इन नियमों के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की जाती है, तो वहां अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की पृष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा या उसके संबंध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह न्यायसंगत तथा उचित समझे:

परन्तु ऐसा कोई आदेश हितबद्ध व्यक्ति के विरूद्ध तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक की उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो:

परन्तु यह और कि अपील प्राधिकारी किसी भी समय निर्देश दे सकेगा कि वह आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है, के निष्पादन को ऐसे समय तक रोका जाए, जैसा कि वह उचित समझे।

23. पुनरीक्षण.-

(1) इन नियमों के अधीन संभागायुक्त द्वारा पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर राज्य सरकार को प्ररूप-नौ में पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। पुनरीक्षणकर्ता, के लिए आवेदन के साथ विहित शीर्ष में रूपए 1,000/- (रूपए

Ĭ,

एक हजार मात्र) का शुल्क जमा करेगा तथा आवेदन के साथ मूल चालान संलग्न करेगा:

परन्तु पुनरीक्षण के लिए आवेदन उक्त अवधि के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि पुनरीक्षणकर्ता राज्य सरकार का समाधान नहीं करा देता कि उसके पास समय पर पुनरीक्षण के लिए आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था।

(2) जहां इन नियमों के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां राज्य सरकार, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की पृष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा या उसके संबंध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह न्यायसंगत तथा उचित समझे:

परन्तु ऐसा कोई आदेश किसी हितबद्ध व्यक्ति के विरूद्ध तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो:

परन्तु यह कि राज्य सरकार किसी भी समय निदेश दे सकेगी, कि अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का निष्पादन ऐसे समय तक के लिए स्थगित किया जाए, जैसा कि उचित समझे।

- (3) राज्य सरकार किसी भी समय उसके अधीनस्थ अधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश का स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कर सकेगी।
- 24. प्रकट भूलों के परिशोधन की शक्ति.— इन नियमों के अधीन, उसके द्वारा पारित आदेश की तारीख से छह माह के भीतर लिपिकीय अथवा सारवान त्रुटियों को अधिकारी सुधार सकेगा:

परंतु यदि ऐसा कोई भी संशोधन, जो कि किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित अधिकारी ने ऐसा करने के अपने आशय की सूचना संबंधित पक्षकार को नहीं दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो:

परंतु यह और कि उक्त आदेश के मामले में छह माह से अधिक अवधि व्यतीत होने पर, राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् संशोधन कर सकेगा: परंतु यह और भी कि राज्य सरकार किसी भी समय आदेश को संशोधित करने के लिए आदेश दे सकेगी।

25. कठिनाईयो को दूर करने की शक्ति. -

- (1) यदि इन नियमों के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई होने पर, राज्य सरकार, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी।
- (2) इन नियमों में उल्लिखित प्ररूप एवं प्रक्रिया राज्य शासन द्वारा विहित की जाएगी।

26. संक्रमण काल हेतु प्रावधान.-

- (1) इन नियमों के लागू होने के पश्चात्, इन नियमों के पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने में विलंब हो सकता है एवं रेत खदानों का संचालन इस अवधि में नहीं होने से रेत की आपूर्ति में कमी आने की संभावना के कारण यह प्रावधान किए जा रहे हैं। रेत की कुछ खदानें जो पूर्व में नीलाम की गई हैं एवं वर्तमान में संचालित हैं, जिन खदानों की अवधि मार्च, 2022 तक है। इनके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश रेत नियम, 2018 के उपबंधों के अधीन ग्राम पंचायत को हस्तांतरित/आबंटित रेत खदानें वर्तमान में संचालित भी हो रही हैं, उक्त खदानों के पर्यावरण नियमों के अधीन, प्राप्त अनुमतियों के तत्काल हस्तांतरण की कार्यवाही, समूह के ठेकेदारों द्वारा शुरू की जाएगी।
- (2) पंचायतों को अंतरित अन्य रेत खदानें जिनमें औपचारिकताओं की पूर्ति होने के पश्चात् संचालन प्रारंभ हो गया हो, ऐसी सभी खदानें नवीन समूह के ठेकेदार द्वारा अनुबंध क्रियान्वित करने के पश्चात् संचालन प्रारंभ करने की तारीख या 31 मार्च, 2020 तक इनमें से जो भी पहले हो, पंचायतों एवं नगरीय निकायों द्वारा संचालित की जा सकेंगी।
- (3) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से, नीलाम खदानों के ठेकेदारों द्वारा खदानों का समर्पण किया जा सकेगा। ऐसी रेत खदानों का समर्पण स्वीकार किया जाएगा, अनुबंध की शर्तों में छूट प्रदान की जाएगी तथा पात्रता के अनुसार सुरक्षा राशि वापसी की जाएगी।

- (4) ऐसी खदानें जिनका समर्पण स्वीकार हो चुका है अथवा अवधि पूर्ण हो चुकी है, उस समूह में शामिल समझी जाएगी, जिनके लिए उसे निविदा आमंत्रण के समय ही चिन्हित किया जा चुका है। समूह के ठेकेदार द्वारा उक्त सिम्मिलित खदानों के संचालन हेतु समस्त वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति की जाएगी। समूह में अतिरिक्त रूप से सिम्मिलित इस नवीन खदान के संबंध में, उस समूह हेतु प्राप्त उच्चतम निविदा राशि के आधार पर प्रगणित प्रति घनमीटर के मान से देय रायल्टी की राशि का भुगतान किया जाएगा। ऐसी सिम्मिलित नवीन खदान की अवधि ठेका अवधि समाप्ति तक ही होगी।
- (5) ठेका के संचालन की अवधि के दौरान कोई नवीन खदान के लिए प्रस्ताव कलक्टर को प्राप्त होता है, तो कलक्टर, आवश्यक जांच के पश्चात् निकटतम उपयुक्त समूह में खदान शामिल कर सकेगा। इस नवीन खदान की अवधि ठेका की समाप्ति की अवधि तक मान्य होगी। समूह के ठेकेदार द्वारा ऐसी नवीन खदान से रेत निकासी हेतु समूह हेतु प्रति घनमीटर की दरमान से प्राप्त राशि उच्चतम निविदा के आधार पर राशि जमा कराई जाएगी। समूह ठेके के लिए कुल मात्रा की अनुमित अधिकतम 25% मात्रा ही नवीन खदान के मामले में जोड़ने की अनुमित होगी।
- (6) इन नियमों के उपबंधों के अधीन या अन्य कारणों से अस्थाई रूप से रिक्त समूह अथवा समूह की शेष खदानों को जनहित में रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभाग अथवा निगम द्वारा संचालन किया जा सकेगा।
- 27. निरसन.- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996, मध्यप्रदेश (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 तथा मध्यप्रदेश रेत नियम, 2018 में विनिर्दिष्ट रेत खनिज के संबंध में उपबंध उस सीमा तक निरसित किए जाते हैं, जहां तक इन नियमों को अतिक्रमित नहीं करते हों।
- 28. मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन) नियम, 2019 के अंग्रेजी अनुवाद से किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या विसंगति की स्थिति में, नियमों का हिन्दी संस्करण स्वीकार्य होगा।

प्ररूप-एक (नियम 8(5) देखिए) निविदा में भाग लेने के पूर्व ऑनलाईन करार/वचन/सहमति पत्र

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी	पुत्र	/पुत्री/पत्नि श्री	स्वामी/
साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस	ताक्षरकर्ता	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	निवासी
जिला			
अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ में ऐसा म	गना गया है, उसके वारिस,	निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि	प्रे और अ <mark>नुज</mark> ्ञात
समनुदेशिती सम्मिलित हैं, आज दिन	 ाांक माह	सन् 20 .	को
सहमति देते हैं/वचनबद्ध हैं कि,-			

- 1. यतः, निविदाकार ने खदानों आदि के संबंध में निविदा दस्तावेज में अधिकथित की गई शर्तों को खदान की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व पढ़ लिया है या समझ लिया है और यह स्वीकार करता हूं कि निविदाकार उक्त शर्तों में से किसी शर्त के बारे में अज्ञानता व्यक्त करने का हकदार नहीं होगा।
- 2. निविदाकार एतद्वारा सहमति व्यक्त करता है कि,-
 - (क) निविदाकार में, निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व समूह में सम्मिलित रेत खदानों का मौके पर निरीक्षण कर लिया है एवं खदानों के सभी सुसंगत पहलुओं जैसे कि पहुंच मार्ग, खदानों में उपलब्ध खनिज की मात्रा, आदि के संबंध में अपना समाधान कर लेगा।
 - (ख) निविदा में भाग लेने के पूर्व, निविदाकर्ता खदान समूह की प्ररक्षित कीमत की 25% राशि अग्रिम में जमा करेगा, जो प्रतिभूति राशि कहलाएगी।
 - (ग) निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही औपचारिकताओं की पूर्ति करके खान संचालन किया जाएगा तथा विहित कालाविध में देय राशि का भुगतान किया जाएगा।
 - (घ) राज्य सरकार/कलक्टर उच्चतम निविदा राशि को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, और यह भी कि राज्य सरकार प्राप्त उच्चतम निविदा को, उसके लिए कारण बताए बिना, स्वीकार करने अथवा निरस्त के लिए स्वतंत्र है।
 - (ङ) अनुमोदित खनन योजना/ पर्यावरण प्रबंधन योजना ठेके के अनुमोदन की तारीख से विहित कालाविध के भीतर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के अधीन प्रस्तुत की जाएगी। इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् 15 दिवस की कालाविध के भीतर, प्ररूप में प्रतिभूति बंधपत्र के साथ प्ररूप में अनुबंध निष्पादित किया जाएगा जिसमें असफल रहने पर संबंधित कलक्टर जमा की गई ठेका राशि की किश्त तथा इस प्रकार जमा की गई प्रतिभूति रकम समपहृत करेगा:

परन्तु जहां राज्य सरकार/कलक्टर के उनके समाधान हो जाने पर यह राय है कि अनुबंध के निष्पादन और औपचारिकताओं को पूर्ण करने में हुए विलंब के लिए सफल निविदाकार जिम्मेदार नहीं हैं, तो यथास्थिति, राज्य सरकार या इस निमित्त कोई प्राधिकृत

अधिकारी उपरोक्त कालावधि के अवसान होने के पश्चात् भी अनुबंध के निष्पादन की अनुज्ञा दे सकेगा।

- 3. मैंने मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 का पूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं उनका पालन सावधानीपूर्वक करूंगा।
- 4. अनुबंध के निष्पादन और प्रतिभूति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क एवं रिजस्ट्रीकरण फीस का मेरे द्वारा वहन किया जाएगा।
- 5. मैं वचन देता/देती हूं किः
 - (क) मेरी फर्म/पार्टनरिशप फर्म/एलएलपी/कंपनी/सोसायटी/...... दिवालिया नहीं है तथा आबंटित खदान एवं खनिज के संबंध में कोई शोध्य बकाया नहीं हैं, यदि ऐसे कोई शोध्य पाये जाते हैं तो वह मेरी प्रतिभूति रकम से समायोजन योग्य होंगे।।
 - (ख) यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात् में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि मेरे पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं हैं तो मुझे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि मेरे/हमारे द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो मेरा/हमारा ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि मेरे/हमारे पक्ष में आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या मेरे/हमारे द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा मेरा/हमारा स्वीकृति पत्र/अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप मेरी/हमारी प्रतिभूति राशि एवं अन्य राशि जप्त की जा सकती है तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण मुझको/हमको हुई किसी भी हानि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

तारीख: स्थान:

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम
पता
मो.नं
ई-मेल

प्ररूप-दो (नियम 8(8) देखिए) मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

क्रमांक/रेत/2	0/ दिनांक
प्रति,	
	कलक्टर, जिला (म.प्र.)
विषय : संदर्भ :	ई-निविदा में प्राप्त निविदा प्रस्ताव के आधार पर उच्चतम निविदाकार की सूचना के संबंध में ई-निविदा सूचना क्रमांक दिनांक

ऊपर संदर्भित विषयांतर्गत यह सूचना दी जाती है कि दिनांक को जारी ई-निविदा सूचना के अंतर्गत नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार उच्चतम सफल निविदाकार एवं द्वितीय उच्चतम निविदाकार घोषित किया जाता है:-

अनुक्रमांक	निविदाकार	उच्चतम सफल/द्वितीय उच्चतम निविदाकार का विवरण (नाम/पता आदि)	समूह क्रमांक	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांकों के ब्यौरे	समूह का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	समूह की निविदा हेतु निर्धारित प्ररक्षित मूल्य (रूपयों में)	समूह की निविदा में प्राप्त उच्चतम राशि (रूपयों में)
1	उच्चतम सफल निविदाकार								-
2	द्वितीय उच्चतम निविदाकार								

नियम 11 के अनुसार औपचारिकताओं की पूर्ति करने हेतु संबंधित को निदेश जारी करने के लिए अनुरोध है।

प्रबंध संचालक/ कार्यपालक संचालक म.प्र. राज्य खनिज निगम

🕯 पृ.क्रमां	क/रेत/20/ भोपाल	भोपाल			
दिनांक					
प्रतिलि	पि :-				
1)	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, वल्लभ भवन, सूचनार्थ।	मंत्रालय	की	ओर	
2) 3) 4)	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ । उच्चतम सफल निविदाकार श्री की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक द्वितीय उच्चतम निविदाकार श्री की ओर सूचनार्थ।	कार्रवा	ई हेतु	1	

प्रबंध संचालक/ कार्यपालक संचालक म.प्र. राज्य खनिज निगम

प्ररूप-तीन (नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए) आशय पत्र

क्रमाक/र	रत/20.	भापाल, ताराख/20
प्रति,		

विषय : '	जिल	विदा क्रमांकदिनांक के संदर्भ में ग्रामतहसील तहसीलहेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक रेत खदानों ग्राशय पत्र।
1.	पृष्ठभू	मे :
	1.1	मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अनुसरण में
		मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला स्थित
		समूह खदान के समूह क्रमांक हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा
	-	प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई निविदा सूचना दिनांक, 2019 जारी की गई।
		ई- निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित
		की जाकर श्री/मेसर्स को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन
		उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।
٠	1.2	उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के
	1 . 2-	अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार श्री/मेसर्स ने प्ररक्षित मूल्य के 25%
		राशि रकम रूपए (शब्दों में रूपए मात्र) अग्रिम धन (ईएमडी) के
		रूप में के माध्यम से (भुगतान का तरीका) जो दिनांक (भुगतान की तारीख) जमा
		कर दी है तथा जो दिनांक (भुगतान प्राप्त करने की तारीख) को प्राप्त हुई है।
2.	परिणा	मस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :
 -		नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांकशी/मेसर्स
		के पक्ष में 03 वर्षों की अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम
		जिलामें रकबा (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी
	_	ना रहा है।
3.	शर्तें :	
.	3.1	यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्ति खदान समूह का अनुवर्ती आबंटन इन नियमों के समय-
	J. 1	समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अध्यधीन होगा तथा श्री/मेसर्स को
•		
		"उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन
		समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आबंटित खदान समूहों खदान समूहों का आबंटन किया जाएगा।

3.2	संदर्भ हेतु श्री/मेसर्स के "उच्चतम सफल निविद	ाकार" क रूप में घाषित
	किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आबंटन है, के लिए अपे	क्षाओं को नीचे दोहराया
1	गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संद नियमों में किसी परिवर्तन की स्थिति में यथास्थिति संशोधित नियमो होंगी।	र्भ के लिए हैं तथा उक्त
	(क) "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा:-	
	श्री/मेसर्स को 'उच्चतम सफल निविदाका	र' मान्य किया जाएगा,
	बशर्तै:	
	(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया ह	हो ;
	(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50% रकम का	भुगतान कर दिया गया
	हो ;	
	(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप-नियम (1) से	<u> </u>
	उप-नियम (7) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।	कानूना अनुपालना क
•	(ख) ठेका अनुबंध का निष्पादन-	
	समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति ए	पुवं सदृश जो कि खनन
	संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अं	
	उपरांत श्री/मेसर्स संबंधित जिले के व	
	निष्पादित करेगा।	
	(ग) समूह खदानों की खनन संक्रिया-	C Y
	अनुबंध निष्पादन के पश्चात् श्री/मेसर्स नियमित रूप से भुगतान करेंगे तथा नियमित खनन संक्रियारे	
3.3	ानयामत रूप स भुगतान करग तथा ानयामत खनन साक्रयाच्या यह आशय पत्र नियमानुसार प्रगणित की गई 03 (तीन) वर्षों	
0.0	विधिमान्य है। समय-सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जा	
	एवं संबंधित जिले के कलक्टर के मध्य ठेका	
	जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं	
•	निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय-सीमा में वृद्धि करने	
	आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं श	र्तों के अनुपालन के लिए
~~	कलक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।	~~~~~ ^
ानावर विजीस स्वति 0	वेदाकार कंपनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के	आशय पत्र की रूप में वापस करने योग्य
होगी।	७७ विषय का जवाब के सालर जवाहरताकारा का रचाकाच समस्त क	
Q		कलक्टर
		जिला
प्रतिलिपि-		
1.		
2.		

प्ररूप-चार (नियम 13(1) देखिए) वार्षिक कार्ययोजना हेतु प्ररूप (फार्मेट)

जिला/तहसील/ग्राम	*************	•••••	
खसरा क्रमांक	एवं कुल रकबा	******************	(हेक्टेयर में)

तिमाही का क्यौरें ,	अनुक्रमांक	समूह में सम्मिनित खदान का ड्यौरे(ग्राम)	निविदा दस्तावेज के अनुसार प्राक्कलित खदानवार मात्रा (घनमीटर)	खनन योजना में अनुमोदित मात्रा (घनमीटर में)	ई.सी. में स्वीकृत मात्रा (घनमीटर में)	सी.टी.ओ. में स्वीकृत मात्रा (घनमीटर में)	खदानवार अनुज्ञेय मात्रा (घनमीटर में) (5, 6 एवं 7 में से जो भी न्यूनतम हो)	समूह हेतु कुल अनुज्ञेय मात्रा (घनमीटर में) (समस्त न्यूनतम लनुज्ञेय मात्राओं का योग)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
प्रथम तिमाही	1.		_					
(1 जुलाई से	2						·	
30 सितम्बर)	3							•
द्वितीय	1 -							- ,
तिमाही (1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर)	2			·				
	3							
तृतीय तिमाही (1 जनवरी से 31 मार्च)	1		·				·	
	2							
	3							
चतुर्थ तिमाही (1 अप्रैल से 30 जून)	1							
	2						·	
	3							

त्थान: देनांक:		
		(समूह ठेकेदार के हस्ताक्षर
•		नाम:
		पताः
	.•	ans ania

प्ररूप-पांच (नियम 13(2) देखिए) रेत खदान हेतु ठेके अनुबंध

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
यह करार एक पक्ष के रूप जो कलक्टर जिलाके माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के
राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती
सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पत्नी/पुत्रीनिवासीतहसीलजिलाजिला
(जिसे इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है,
उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज
दिनांकमाहसन् दो हजारकोसेव्यापारिक खदान
के लिए किया गया।
1. यतः, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपए प्रतिवर्ष का भुगतान
करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए अग्रिम
धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए प्रतिभूति राशि और रूपए ठेका
अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा
रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समपहृत किए जाने योग्य
होगी; और
यतः, राज्य शासन/कलक्टर ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न
है जिस खदान का क्षेत्रफलहेक्टेयर है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया
गयां है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।
2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा
शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए
प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके
की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य
कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों
को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।
3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकर को पट्टान्तरित भूमि का तारीख
से तारीख तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।
4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद्वारा पद्दान्तरित ठेके पर दिए गए क्षेत्र की सीमाएं
खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।
5. (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व
किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
'(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2. 3.			

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहनें पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अविध पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलक्टर द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमित दे सकेगा:

परन्तु यह और कि, 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करनें में असफल रहता है तो, कलक्टर द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा:

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समृह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जाएगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा:

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमित दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमित प्राप्त की जाएगी। ठेकाविध में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पह्त की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमित में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकाविध हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमित नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान तीस दिन के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि / राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

- 6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमत: जमा कराई जाएगीं।
- 7. ' ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अविध तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके व्दारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।
- 8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलक्टर ठेका रद्द किए जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका, समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- 10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।
- 11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।
- 12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगी।

- 13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।
- 14. ठेकेदार खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।
- 15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।
- 16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे तथा ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- 17. ठेकेदार, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।
- 18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/कलक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।
- 19. ठेकेदार, नीचे दिए गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व कलक्टर को प्रस्तुत करेगा:

माह	निकाले गए खनिज का प्रारंभिक स्टॉक	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- 20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।
- 21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।
- 22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलक्टर को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरूद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएंगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएंगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएंगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुन: वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात् समूह की पुन: निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएंगी।
- 23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।
- 24. (1) युद्ध की स्थिति या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।
 - (2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

- 25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 26. कब्जे का पुनर्ग्रहण.-(1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, रेत खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या

- लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।
- (2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करेगा या करवाएगा।
- (3) उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।
- (4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलक्टर या उप- खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।
- (5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर, ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।
- 27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को समपहृत करने का अधिकार होगा।
- 28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।
- 29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।
- 30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टक्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए......(अग्निम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलक्टर व्दारा उसे वापिस कर दी जाएगी।

अनुसूची-क

(पैरा 1 देखिए)

जिला	तहसील	समूह का नाम/क्रमांक	ग्राम (जहां खदान स्थित है)	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर	
1	
2	
	कलक्टर के हस्ताक्षर
	जिला
•	(मुहर)
साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर	
1	ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
2.	

प्ररूप-छह (नियम 13(2) देखिए) प्रतिभू बंधपत्र

इस विलेख द्वारा सभी को यह ज्ञात हो कि मैं(जिसे इसमें इसके पश्चात्
प्रतिभू कहा गया है) पुत्र/पत्नि/पुत्री, श्री/श्रीमती निवासीतहसीलत
जिलामध्यप्रदेश के राज्यपाल के प्रति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है),
जो कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान) जिला के
माध्यम से कार्य कर रहे हैं, रूपए (ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि) की राशि की देनदारी के
लिए वचनबद्ध हूं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूं, जिसका भुगतान राज्यपाल, उनके उत्तरवर्ती या समनुदेशिती या
उनके अटर्नी या राज्यपाल व्दारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को किया जाना है और उसके भुगतान के
लिए मैं एतद्वारा स्वयं को, मेरे वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा प्रतिनिधियों को दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता
हूं।
इसके साक्ष्य स्वरूप आज तारीखमाहसन् दो हजार को इस पर
मैंने अपने हस्ताक्षर किए है।
यतः श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नि
निवासीतहसीलजिलाजिले इसके पश्चात् ठेकेदार कहा गया है)
को ग्रामतहसालतहसीलजिलामेंहेक्टर क्षेत्र पर
निविदा के आधार पर, आदेश क्रमांक तारीख द्वारा स्वीकृत की गई है।
THE THE STORY OF THE
और यतः ठेकेदार स्वेच्छा से कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान) से
ठेका अनुबंध निष्पादित करने के लिए सहमत है।
और यतः कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान)
(ठेकाकर्ता) तथा ठेकेदार के बीच निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध के आधार पर,
उक्त ठेकेदार से ठेके से उद्भूत होने वाले ठेकाधन और अन्य शोध्यों का नियमित रूप से तथा समय-समय पर
भुगतान किया जाना अपेक्षित है।
और यतः कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान) ने श्री/श्रीमती/कुमारी को श्री/श्रीमती को
रूपएं
सीमा तक के लिए उसका प्रतिभू होता/होती हूं तथा यह बंध पत्र निष्पादित करता/करती हूं और मैं यह घोषणा
करता/करती हूं कि मैं पूर्ण निम्नलिखित स्थावर सम्पत्ति रखता/रखती हूं, जिसका कि मैं स्वामी हूं और यह कि
वह सम्पत्ति बंधक अथवा दान की हुई नहीं है और समस्त विल्लंगमों से मुक्त है।
सम्पत्ति के ब्यौरे
मूल्य

और बंधपत्र की शर्तें ऐसी हैं कि यदि ठेकेदार की मृत्यु हो ज समय उक्त ठेके से उद्भूत होने वाला ठेका धन या अन्य शोध इस लेखे ऐसे कोई शोध्य कलक्टर/अपर कलक्टर जिलाको तुरन्त शोध्य और देय हो ऊपर उल्लिखित मेरी सम्पत्ति से भू-राजस्व की बकाया के त	ध्यों का भुगतान नहीं करता है तो इस ठेके के अधीन (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान) जाएंगे और उसकी वसूली इस बंधपत्र के आधार पर
और मैं यह घोषणा करता/करती है कि मैं उपरोक्त	सम्पत्ति का बंधपत्र के प्रवृत्त रहने तक, किसी अन्य
रीति से विक्रय, बंधक, दान या अंतरण नही करूँगा/करें	
करूँगा/करूँगी जिससे उपरोक्त सम्पत्ति का व्ययन हो।	च्या आर मिया मा देन में देख गाँद लग गहें।
मल्यामल्या व्यवस्था व्यवस्थाता वर्गात वर्गा स्वारा हार	
, इसे साक्ष्य स्वरूप उक्तने आज	तारीख माससन् दो हजार को हस्ताक्षर
किए।	
साक्षियों का पूरा नाम, पता तथा व्यवसाय प्रतिभू के	हस्ताक्षर
सहित हस्ताक्षर	
1	
2	सत्यापित किया गया और ठीक पाया गया
•	और मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

प्ररूप-सात (नियम 17(3) देखिए) निजी भूमि पर उपलब्ध रेत के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन

प्रेषक	•••••			
प्रति,				
कलव	टर ,			
खनि	शाखा,			
	Γ			
महोदय/महोद	या			
•	•	सीलगम	में स्थित रेत खर	दान समूह क्रमांक का
				घनमीटर की दर से रेत की देय
	•			कट निजी <mark>भूमि</mark> पर रेत उपलब्ध
	वरण निम्नानुसार है			
अनुक्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हूं/करते हैं। 3. रूपए दिया गया है।	का अपेक्षि (चालान संलग्न है) अपेक्षित विवरण :- आवेदक का नाम/ मोबाईल नम्बर / आवेदक का व्यवस् सहमति के लिए	'पता 'ई-मेल आई.डी साय आवेदित निजी भूमि के थ-पत्र (खनिज राजस्व	न क्रमांक दिन प्रिमस्वामी का शपथ-प	ांक द्वारा जमा कर
(6)	अन्य विवरण (जो	। आवेदक प्रस्तुत करना		
स्थान	•		आवेदक के हस्ताक्षर नाम	
			नाम पता	***************************************

प्ररूप-आठ (नियम 18(7)(एक) देखिए) रेत खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन

प्रति,		
	कलक्टर	
•	जिला	
	मैं आयुवर्ष निवासी	
		
निविद	में जिला में स्वीकृत रेत खदान समूह क्रमांक का ठेकेदार हूं। मैं भण्डारण अनुज्ञा	Ŕ
स्वीकृ	हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु फर्म/कंपनी से अधिकृत हूं (अधिकार पत्र की प्रति संलग्न की जाए))
आवेदन	के साथ लिखित दस्तावेज संलग्न है :-	
(1)	आवेदन शुल्क का चालान क्रमांक दिनांक (चालान की मूल प्रति संलग्न)।	
(2)	भण्डारण स्थल का नक्शा एवं खसरा पंचशाला।	
(3)	शपथ-पत्र यह कि मेरे/फर्म/कंपनी के विरूद्ध कोई खनिज राजस्व या शासकीय देय राशि बकाया नहीं (संलग्न करें)।	3
(4)	यह कि भण्डारण हेतु भूमि मेरे स्वामित्व की है/अन्य के भूमि स्वामित्व की है तथा मैंने भूमि स्वामी	À
` /	खनिज का भण्डारण करने के लिए भूमि स्वामी से सहमति प्राप्त कर ली है, तत्संबंधी भूमि स्वामी व	
	सहमति संबंधी शपथ-पत्र संलग्न है।	
(5)	भण्डारण स्थल शासकीय भूमि होने पर तहसीलदार का इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र कि भूि (भण्डारण स्थल) किसी योजना/स्कीम हेतु आरक्षित नहीं है (संलग्न करें)।	À
	उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी सही है। मुझे ज्ञात है कि जानकारी गलत होने पर में	रे
विरूद्ध	वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।	
तारीख		
स्थान		
	आवेदक के हस्ताक्षर	•
	नाम	
	पता	
	खदान समूह क्रमांक	
	जिला	

प्ररूप-नौ (नियम 22(1) एवं 23(1) देखिए) अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

प्रति,	
1.	आवेदक का नाम एवं पता
2. '	प्राधिकारी का नाम, आदेश क्रमांक एवं तारीख जिसके विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया
	गया है (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
3.	अपील/पुनरीक्षण फीस, ट्रेजरी चालान का क्रमांक तथा तारीख (ट्रेजरी चालान की मूल प्रति
	संलग्न करें)
4.	अपील/पुनरीक्षण का आधार
5.	कोई अतिरिक्त जानकारी, जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है
6.	आदेश को संसूचित करनें के 60 दिन के पश्चात् अपील/पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में,
	विलम्ब का कारण
तारी	ख: आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान	त:आवेदक के हत्ताकर आवेदक का नाम

Bhopal, the 30th August 2019

No.- F 19-2/2019/XII-1.- In exercise of the powers conferred by section 15 and section 23C read with section 9B, of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following rules regarding sand (Mining, Transportation, Storage and Trading), namely:-

RULES

Chapter -I

Preliminary

1. Short Title, Extent and Commencement.

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019.
- (2) They shall extend to whole State of Madhya Pradesh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957);
 - (b) "Corporation" means, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited;
 - (c) "District Mineral Foundation" shall have the same meaning as assigned to it in Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rule 2016;

- (d) "Form" means Form appended to these rules;
- (e) "Government" means, Government of Madhya Pradesh;
- (f) "Gram Panchayat", "Janpad Panchayat", "Zila Panchayat" and "Gram Sabha" shall have the same meaning as has been respectively assigned to them in the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Swaraj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994);
- (g) "Licencing Authority" means such officer who has been authorised to sanction sand mines/issue letter of intent and grant licence under these rules;
- (h) "Mineral sand" means, Ordinary sand, Bajri as is defined in section 3(e) of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957;
- (i) "Nagar Palika" shall have the same meaning as assigned to them in Madhya Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1961(37 of 1961);
- (j) "Prescribed" means, instructions issued by State Government under these rules;
- (k) "Storage License" means, License granted under these rules to store and trading of mineral sand;
- (l) "Storage Place" means such place where mineral sand is stored for commercial purpose;
- (m) **"Urban Body"** means, Nagar Nigam, Nagar Palika, Nagar Parishad as the case may be;
- (n) "Water User Association" shall have the same meaning as is assigned to it in Madhya Pradesh Sinchai Prabandh Me Krishko Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999;

- (2) Words and Expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act or Rules made there under.
- 3. Restrictions:- The following restrictions shall be applied with regard to mineral sand,-
 - (1) No vehicle shall cause to be transported the mineral sand from the sanctioned quarry or storage place without prescribed transit pass.
 - (2) No vehicle shall cause to be transported without substantial entry in Transit Pass (as quantity of mineral, date/time of transport, time to be taken to reach to destination place, etc.).
 - (3) No person, except the valid contractor, shall be permitted to store mineral sand for commercial purpose or for use in commercial construction, quantity more than the quantity specified in these rules.
 - (4) The vehicles engaged in sand transportation without GPS or establishing of machine of equivalent technique as prescribed, shall be prohibited after the date of notification by the State Government.
 - (5) Extraction and removal of sand from the following area shall be prohibited as provided in sustainable sand mining guidelines, 2016 issued by Government of India,-
 - (a) within 200 meters from any bridge;
 - (b) within 200 meter upstream and downstream areas of any water supply scheme or water resources scheme;
 - (c) within 100 meter from edge of national highway and Railway line;

- (d) within 50 meter from any canal, reservoir or building;
- (e) within 50 meter from edge of state highway and 10 meters from edge of other village road;
- (f) within fixed distance from any areas which has been built to control the flood;
- (g) within 200 meter distance from the place of cultural, religious, historical, and archaeological importance or within the distance as provided in the Act/Rule;
- (h) such areas which have been declared prohibited by Collector due to environmental or other reasons:

Provided that, on receipt of representation, permission to grant for mining within the limit of prohibited area may be considered, after getting NOC/Consent from the concerned administrative department.

(6) There shall be complete ban on mining, loading and storage of sand by machines from the sanctioned quarries in river Narmada. Sand mining, loading and storage from quarries having area upto 5.00 hectare situated on other rivers shall be done by the committee of local labourers and quarries having area more than 5.000 hectare, local labourers shall be given priority for sand mining, loading and storage. The use of machines for sand mining in other rivers may be given depending upon the requirement and approval in mining plan and environmental clearance.

4. Exemptions.-

(1) The sand from nearest sanctioned quarry may be obtained only after payment of royalty for Government project or other beneficiary works (Swachchha Bharat Abhiyan, Pradhanmantri Awas Yojna etc.) undertaken by Panchayat/Urban body. The total amount of royalty deposited by Panchayat/Urban body (excluding loading and transportation) shall be refunded based on necessary enquiry and certification:

Provided that, if the works for Panchayat/Urban body is done by contractor, the above deposited royalty shall not be refunded.

(2) Maximum 10 cubic meter sand in a year may be used by the member of SC/ST labourers, artisans and rural agriculturist for the construction of own house, repair, construction of wells and in agricultural works, from the area demarcated and selected by the Gram Sabha in their jurisdiction.

(3) Hereditary Kumhars, Members of SC/ST or Cooperative Society of such group, engaged in making pots, tiles and bricks by traditional means may obtain the sand without payment of royalty/administrative charges from the areas demarcated and selected for such purpose within the respective jurisdiction of Gram Sabha.

Chapter II

Demarcation, Declaration and Making Group of New sand quarries.-

5. (1) Demarcation of sand quarries- The Collector, shall identify new sand bearing areas in rivers or on other places of the State. D.G.P.S. survey shall be carried out and its location on revenue map alongwith Latitude and Longitudes shall be marked:

Provided that the sand quarries demarcated and declared prior to the commencement of these rules, may be amended by following the same procedure as required.

(2) Declaration of sand quarries- The sand quarry identified as per sub-rule (1) above shall be declared by the Collector, after making such inquiry as he deems fit, on receipt of information/application/proposal. Prior to declaring sand quarry, opinion from the concerned Gram Panchayat/Urban Body shall be obtained and for this purpose a formal order shall be issued:

Provided, if no opinion/advise of the concerned Gram Panchayat/Urban Body is received within a period of 15 days, the Collector, by presuming that there is no objection, shall declare new sand quarries in non-scheduled areas only:

Provided further that, if any objection is received from concerned Gram Panchayat/Urban Body within stipulated period, the Collector by disposing off the objections on merit shall take appropriate decision regarding declaration of quarry:

Provided further that, prior to declaration of sand quarry consent/no objection of Gram Sabha shall be mandatory in scheduled areas:

Provided also that, the declaration of such sand bearing areas shall not be necessary separately which are operational or have been auctioned earlier.

(3) Making of group of the sand quarry.-

(a) The Collector shall make the group of sand quarries and send proposal to the Director along with details of area, boundary, revenue map, Khasra-Panchsala, Latitude-Longitude for each quarry included in group.

- (b) The group shall be constituted on the basis of geographical location and revenue boundary (Tehsil, District) as for as possible.
- (c) While making the group, total area of sand quarries included in the group and approximate available quantity of sand shall be taken into consideration.
- (d) The proposal of constituted group sent by the Collector shall be finalised by Director.

Chapter-III

Estimation of available quantity of sand in declared sand quarries and fixation of preliminary base price (upset price).-

- 6. Estimation of quantity available in declared sand quarries-
 - (1) The Collector, with the help of Corporation, shall make the quarry- wise estimate of mineable quantity of available sand, in demarcated and declared sand quarries.
 - (2) The multiplication of the Area of declared quarry and its actual depth upto which sand is available (maximum 3 meter or water level whichever is less), shall be the mineable quantity of that sand quarry.

For Example:-

Area of quarry-4.000 hectare means 40000 square meter Actual depth-2.50 meter

Mineable Quantity- 40000 X 2. 5=1,00,000 cubic meter per year.

- (3) The Permission to mine, in sand quarries up to 3 meter depth from the surface or upto water level, whichever is less, shall be legal. Hence while estimating quantity maximum up to 3 meters depth shall be the base for estimation of mineable quantity.
- (4) The sum of quantity of available sand in all the demarcated and declared sand quarries included in

the group shall be the total mineable quantity of the group.

7. Fixation of the preliminary base price (upset price).-

- (1) The multiplication of quantity of available sand in each quarry of the group separately and the amount payable at the rate of Rs. 125 per cubic meter shall be the preliminary base price (upset price) of that quarry.
- (2) For e-Tender, the sum of preliminary base price calculated sperately for the quarries included in group, shall be the preliminary base price (upset price) of that group.

Chapter IV

Procedure and period of e-Tender of the group of sand quarry

- 8. e-Tender.- The demarcated and declared sand quarries shall be disposed off group-wise by the corporation through e-tender and the procedure thereof shall be as under:-
 - (1) In consultation with the Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh the authorised portal shall be used for e-Tender and necessary fees etc. shall be paid by the corporation.
 - (2) The interested tenderer shall be required to get registered on the portal after payment of fee fixed for registration. After registration the registered person/Institution shall get a log-in ID.
 - (3) Information regarding e-Tender programme shall be published atleast 07 days prior to date of invitation of tender in the News papers.
 - (4) The Registered person/Institution may see the tender Notice of demarcated/declared group of sand quarries

for minimum 7 days from the date of its display on the portal, which shall include the following particulars:-

Details of group of quarries included in e- Tender

Group	Name/	Number

Date of submission of tender.....Time.....

No.	District	Tehsil	Village	Khasra No.	Area in Hectare	Latitude- Longitude	approximate Quantity in cubic meter	Upset price in Rs.
	•							

- After viewing the details as above, the registered (5)person/Institution as desired, prior to participate in tender for group, shall execute an agreement in Form-I with the Corporation of such intention that spot inspection of sand quarries of group by him has been made and he is satisfied with the quantity of sand available in quarries included in the group, approach No aspect. relevant other road and of tender after completion complaint/objections process shall be submitted or no suit in any court in this regard shall be instituted. After completion of tender process, by making payment of dues in stipulated time and complying the formalities is agreed for operation of the quarry. This agreement may be taken as online consent also.
- (6) The Registered persons/Institutions as desired shall be eligible to submit the tender for more than one group and 25% amount of upset price fixed for each group, shall be deposited separately online as E.M.D in an

- account maintained by the corporation, then only may participate in tender process.
- (7) The amount of E.M.D. deposited as above, in case of successful tenderer, shall remain deposited as security deposit in a fixed account and shall be refundable only after expiry of the contract period on due compliance of the terms and conditions of the contract and successful operation of the sand quarry. As per subrule (8) of this rule, except the second highest tenderer as the case may be, the amount of E.M.D. of remaining tenderers shall be refunded online.
- (8) The date and time of tender of group for the tender process shall be fixed and after expiry of this period, all the tenders received for any specific group shall be opened as per the date mentioned in tender document. The Corporation by declaring the highest tenderer as successful tenderer from the tenders received, shall intimate in **Form-II** to the concerned Collector. Beside this, the Collector shall also be informed by the corporation about the second highest tenderer if the difference of his tender amount is not more than 10% of the tender amount of highest tenderer. Thereafter the process as mentioned in rule 11 may be started.
- (9) In first invitation if only single tender is received for any specific group in the tender process the process shall be cancelled and the tender of quarry group shall be re-invited.
- (10) If a single tender is received in the second or third consecutive tender of any group and tender amount is 10% or more than the upset price fixed for the group, such single tenderer shall be declared as successful tenderer and the Collector shall be intimated by the corporation.

- (11) If no offer is received in three consecutive tenders for any group or the tender amount is less than the upset price fixed, the Director shall enquire about reasons and proceed for all such act/remedy, including reconstitution of the group so that tender may be received for that sand quarries of the group.
- 9. Period of sand group included in tender. The contract period of quarries of the group shall be 3 years and first year shall be calculated from the date of execution of agreement to 30th June of the year and last period shall be 30th June of the third year.

For example:-

If the agreement is executed on 5th October 2019 the period of the group shall be calculated as under:-

1		
Sr.	Year	Period
Number		
1.	First year	05 Oct. 2019 to 30 June 2020
2.	Second year	1 July 2020 TO 30 June 2021
3.	Third year	1 July 2021 TO 30 June 2022

10. Fixation and Payment of Contract amount.- (1) The highest amount received in the tender shall be the annual contract amount and in the first year of the contract the annual contract amount shall be payable only. In the second and third year of the contract, 10% more than the annual contract amount, shall be payable.

For example:-

Preliminary Upset price of group - 18.00 crore
Highest tender amount received (Annual - 21.00 crore
contract amount)

No.	Item	Amt. Payable in First year Rs.	Amt. Payable in Second year Rs.	Amt. Payable in Third year Rs.
1.	Percentage of rise	-	10%	10%
2.	Increased Amount	-	2.10 crore	2.10 crore
3.	Total amount payable	21 crore	23.10 crore	25.20 crore

Note:- If the agreement of any group is executed in the middle of the year, the contract money for the first year shall be payable in proportion to the period of working. Fixation of the contract money is done on annual basis and its 1/12 part shall be the monthly amount. If during the first year of any contract 7 months working period is available, the contract amount shall be equally divided into 12 parts and amount for the 7 months period, shall be payable.

(2) The annual contract amount shall be payable in advance on the first day of the quarter in four equal quarterly installments. If the first day of the quarter is the Government holiday the quarterly installment shall be deposited on the next day. The amount of first installment shall be payable on the date of execution of the agreement. The calculation and payment of the contract amount shall be done from the date of execution of the agreement (The amount of first installment shall be proportionately calculated from

- the date of execution till the end of calendar quarter thereafter the ensuing installments shall be calculated for the calendar quarter).
- (3) The whole annual contract money for the group shall be payable on commencing mining operation in any one or more quarry included in the group after getting statutory permission.
- (4) In addition to the contract amount, all other taxes, fees and Government payment shall be payable separately.

Chapter -V

Proceedings after e-tender of sand quarry of the group

11. Proceedings after e-Tender.-

- The Collector shall issue information letter to the (1) successful tenderer declared by the Corporation to deposit 50% amount of highest tender amount within 03 working days in an account maintained by the corporation (as shown in tender notice). This amount shall include amount deposited by the successful tenderer as E.M.D. 25% of the annual contract amount as EMD shall be kept secured for entire contract shall be remaining 25% amount and period treated/adjusted against first installment.
- (2) If the successful tenderer fails to deposit the amount within stipulated period of 03 days, The successful tenderer may after specifying the reasons, request to the Collector to grant additional time period. The Collector may grant maximum 10 days additional time period on the basis of appropriate reasons.

- (3) Upon depositing the amount within fixed or in additional time period by the successful tenderer, the Collector shall issue a letter of intent in **Form-III** to complete all legal formalities within 07 working days. All the formalities/permissions of individual quarry in a group shall be obtained/completed as per rule. After issuance of letter of intent to the highest tenderer, amount of E.M.D. deposited by second highest tenderer shall be refunded online.
- (4) If the successful tenderer fails to deposit amount payable by him in time or in extended time as prescribed under sub-rule (1), the Collector shall confiscate E.M.D. amount and inform to the Corporation and order of cancellation of tender submitted shall be issued by Collector.
- (5) If the highest tenderer fails to deposit the amount payable, the Collector shall cancel his tender. The second highest tenderer as intimated earlier by the corporation whose difference of tender amount is not more than 10% of the amount of highest tenderer, shall be declared new highest tenderer (successful tenderer) by the Collector. Such successful tenderer shall be issued a notice to complete the formalities under sub-rule (1). Upon depositing the amount within the prescribed period, the Collector shall issue a letter of intent in **Form-III** for completing the necessary formalities.
 - (6) In case of non-payment of the amount payable by new highest tenderer within time as above, the proceedings for re-tendering of the group shall be adopted.

Government may authorise any other authority like Madhya Pradesh State Mining Corporation etc. in place of Collector to issue the letter of intent and take further action for any particular district or group. Under such condition in all rules/instructions and agreement wherever mention of Collector in this context is made, such authority shall be therein deemed accepted.

Chapter -VI

Statutory Permissions

The statutory Permissions.-Statutory 12. permissions/formalities for each sand quarry of the group may be obtained/completed, as per rule. All the statutory permissions (e.g. Mining Plan, Environmental Clearance, Water and Air Consent etc.) required for the operation of the sand quarry shall be obtained by the successful tenderer. The successful tenderer may start mining operation only after obtaining the statutory permissions as per rule 14. Excavation without statutory permission or excavation in excess quantity than permitted quantity in statutory permission, in such condition 100% cost of the excavated compensation towards of amount mineral and environmental damage shall be recoverable from the contractor. The statutory permission are as follows:-

(1) Mining Plan-

(a) The successful tenderer shall submit mining plan for approval to the Collector within a period of

- one month from the date of issuance of letter of intent. The Mining Plan shall be prepared by the Recognised Qualified Person (R.Q.P.), authorised by the Director.
- (b) The mining plan shall consist of the location (latitude-longitude) of the mines, quantity of mineable sand available in the sand quarry and other issues, as provided for in Madhya Pradesh Minor Mineral Rules 1996.
- (c) The Collector shall approve the mining plan on the basis of recommendations of the technically qualified officer (Post Graduate Degree Holder in Geology/Applied Geology) of the department posted in the district and in case if in any district technically qualified officer is not posted, in such case concerned Regional head or Director shall approve the mining plans.
- (d) The mining plan shall be prepared only on the basis of actual quantity available/estimated and all the Mining operations shall be carried-out in accordance with the approved mining plan.
- (2) Environmental Clearance- The successful tenderer after getting approved mining plan, within a maximum period of 15 days, shall submit application before the competent authority to obtain Environmental Clearance in accordance with notification issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Changes.
- (3) Water and Air Consent- The successful tenderer after getting environmental clearance within a maximum

- period of 7 days, shall submit application before the competent authority for obtaining the consent under the Water (Prevention of pollution and control) Act, 1974 and the Air (Prevention of Pollution and Control) Act 1981.
- (4) Permissible Quantity-The mining shall be permitted upto mineable quantity fixed in mining plan, environmental clearance, water and air consent (whichever is less).
- (5) The annual contract amount shall not be reduced in any case if there is reduction in mineable quantity in approved mining plan, environmental clearance, water and air Consent.
- (6) All the above statuary permissions shall be obtained within a time limit. The corporation shall supervise for the permissions being taken for each group by the group contractor. In case of any delay, carelessness or lack of interest proceedings for cancellation of letter of intent may be initiated.

Chapter- VII

Execution of Agreement and Commencement of Mining Operation

13. Execution of Agreement.-

(1) The successful tenderer after completing/getting all the statutory formalities, shall submit, annual action plan in **Form-IV** to the Collector for the quarries included in the group. Successful tenderer shall submit an undertaking in **Form-I** to the Collector

- stating that the mineral upto the permitted limit shall be extracted. As per sub-rule (2) of rule 14, shall deposit the highest tender amount received for the group and is ready to execute the agreement of any particular quarry included in the group.
- (2) The quarry wise contract agreement may be executed separately in **Form-V** within 15 days from the date of submission of the undertaking, as above and separate surety bonds shall be submitted for each quarry in **Form-VI**. Agreement shall be registered under the provisions of Indian Stamp and Registration Act, 1908 (No.16 of 1908).
- (3) The successful tenderer shall prepare annual working plan for the quantity to be dispatched every month from the quarry in such manner that the total permissible mineable quantity fixed for the year is despatched entirely, in that year.
- (4) If amount payable for the quantity to be despatched in any quarter is more than the amount of installment paid for that quarter then the additional amount shall be payable in addition to contract installment. Otherwise the Collector shall stop issuance of transit pass required for transportation of mineral. The additional amount so deposited and quantity extracted or to be extracted shall be adjustable in annual contract money and as per annual action plan.

14. Commencement of the Mining Operations.

(1) The successful tenderer, after execution of agreement and registration but prior to commencement of the mining operation, shall inform to the Collector about such intention. After Commencement of the mining

- operation the objection regarding available quantity of mineral in quarry, approach road and other related issues shall not be acceptable.
- (2) On the condition of depositing the contract amount of the group on the prescribed date as mentioned in the agreement, the mining operation of the quarry may be started as and when the statutory permission is received. It shall not be compulsory to obtain statutory permission for all the quarries of the group simultaneously.

15. Cancellation of the Contracts.-

- (1) The Collector shall, issue show cause notice to the contractor, on violation of any of the term and condition of the agreement, non compliance of environmental rules, excavation out of the sanction area, excavation more than the permissible quantity or any other serious mistake. Collector, after examining the reply received from the contractor regarding violation, shall send proposal alongwith opinion, to the Director. The Director may either cancel the contract or duly take any other decision on the proposal received from the Collector.
- (2) No such order of cancellation of the contract shall be passed against any person interested without giving opportunity of being heard.
- (3) The appeal, against the order passed by the Director, may be submitted to the State Government.
- 16. Surrender of the Group. The contractor at any time after making payment of all the dues to the State Government may surrender the group by giving six months prior notice to the Collector:

Provided, once the application for surrender of the group is submitted, it shall be irrevocable and the State Government shall accept such surrender within stipulated time and the contractor shall handover the possession of the group as per the terms and conditions of the contract agreement:

Provided further that, upon receipt of application of surrender of the group the process of re-tender of the group shall be initiated by corporation.

Provided further that, the application submitted for surrender of the group in the third year or six months prior to expiry of agreement contract period shall not be entertained.

Chapter VIII

Disposal of Sand on Private Land

17. Disposal/Permit of mineral sand available on Private Land.-

- (1) All the License/Permissions granted for mining of sand on private land under the provisions of M.P. Sand Rules, 2018 prior to commencement of these rules shall be deemed to be cancelled from the date of publication of this notification, the royalty deposited in advance, if any shall be refunded by the Collector to the licensee.
- (2) During the agreement period, permission for excavation of additional quantity of sand on private land may be given to the valid contractor of any group, on the basis of consent from land owner.
- (3) The contractor of the nearest group shall submit application in **Form-VII** to the Collector for obtaining

- license for sand available on private land. The fees of Rs. 5000 (Five Thousand Rupees) per hectare or part thereof, shall be deposited in prescribed head along with application. The applicant shall submit khasra Panchsala of applied land and an affidavit of the consent of the land owner and an affidavit stating that, no royalty or any other govt. dues are outstanding against him.
- (4) The Collector after making necessary enquiry and on the basis of quantity available may dispose-off the application of 1.00 hectare area. Where the applied area is more than 1.00 hectare, the Collector shall send the proposal to the Director to take appropriate decision for grant of license.
- (5) The quantity in license to be granted on private land shall not exceed more than 10% of the mineable quantity of that group.
- (6) An amount equal to 50% of calculated royalty of available/estimated quantity in the license area shall be deposited as security amount. This security amount shall be adjustable against the royalty payable in advance.
 - The permission to issue transit pass for the transportation of the sand from the license area shall be given only after depositing 50% amount of calculated royalty of available/estimated quantity in the license area.
- (7) The period of License shall not be more than one year.
- (8) The Licensee shall start the mining operation only after obtaining statutory permissions required under these rules.

- (9) The permission for transport of the excavated sand shall be given after depositing payment in advance at the rate of per cubic meter according to the highest tender amount received for the group.
- (10) The transportation of sand from place of license to the destination shall not be done without the transit pass.
- (11) The permissible quantity for mining shall be limited to (Mining plan, Environmental clearance, Water and Air consent) whichever is less. In case of violation the permission may be liable to be cancelled with immediate effect and as per rule the value of additional quantity excavated shall be recoverable.
- (12) The private land owner shall not be given direct permission for mining and sale of sand.

Chapter IX

Storage of mineral sand

18. Storage of mineral sand.-

- (1) All the License granted for storage of sand prior to the commencement of these rules shall be deemed to be cancelled from the date of publication of this notification. The permission for disposal of sand validly stored shall be given. The licensee shall furnish details of quantity of mineral stored on storage place to the Collector within a period of 7 days from the date of notification.
- (2) The licensee, after the publication of this notification shall not store new stock of sand, of storage place.
- (3) The Collector shall, after receiving such details, enquire and verify the quantity of mineral stored. The permission may be accorded, to the licensee to

remove/dispose-off quantity upto 1.00 lakh cubic meter sand stored legally, within a maximum period of 30 days. The arrangement for special permission for disposal shall be made on portal by the corporation, the period fixed may not be enhanced and the licensee may not be granted permission more than once from one storage place.

- (4) If the quantity of mineral stored on storage place is more than 1.00 lakh cubic meter, the Collector after verification shall send proposal with recommendation to the Director. The Director after examining and fixing the period shall proceed for granting permission. The Director may grant maximum 90 days period for disposal of sand stored.
- (5) In case of non-disposal of whole quantity of sand from the storage place within the period given by Collector/Director as above, the Collector shall forfeit remaining quantity, disposal of the same shall be done as per the procedure prescribed by the State Government.
 - (6) The permission to the contractor of the group for storage of sand mineral for commercial purpose shall only be given beyond 2 km but within the limit of 5 km from the valid sand quarry.

Provided, permission to any person other than the valid contractor shall be given for storage, beyond the 50 km. periphery from any sanctioned sand quarry:

Provided further that the above restrictions shall not be applicable in the Bhopal, Jabalpur, Indore and Gwalior Districts:

Provided further that, the final decision shall be taken by the State Government, if any practical difficulty arises in relation to above restriction.

- (7) The application for grant of storage license shall be submitted as follows:-
 - (a) Application in Form-VIII.
 - (b) Copy of challan alongwith application fee of Rs. 5000 deposited under prescribed head under these rules;
 - (c) Latest revenue maps and khasra panchsala of place of storage;
 - (d) NOC issued by Tehsildar in case the storage place is a govt. land and affidavit showing the consent of land owner in case of private land;
 - (e) Affidavit of applicant for storage license stating that no mineral revenue or govt. money is outstanding against him.
- (8) The Collector by verifying the fact from the corporation that there is no sand quarry within 50 km periphery from storage place and after such enquiry as he deems fit shall grant, storage license.
- (9) The period of license shall not exceed than the period of contract of group and in case of cancellation or expiration of contract the license shall expire automatically.
- (10) The sand, stored in a storage place shall not be transported anywhere without prescribed transit pass (e-TP).
- (11) In case of expiry or cancellation of the contract the licensee shall remove the sand available on the storage place within a period of one month from the date of

such expiry or cancellation of the contract, otherwise the mineral available on storage place shall be forfeited. Such forfeited mineral shall be disposed off by the Collector as per the procedure prescribed by the State Government and the amount so received shall be deposited in the Government treasury.

(12) No License shall be required at construction place for storage of sand upto maximum of 20 cubic meters for private construction work (not for commercial purpose) and upto maximum of 50 cubic meters for commercial purpose to contractors for private construction work:

Provided that in case of government construction works the Collector, may be grant permission for storage of 50% quantity of sand sanctioned in estimate at construction site on the basis of a certificate issued by the competent authority of the works department.

19. Amount to be Deposited.-

- (1) The whole amount received from mineral sand shall be deposited online in an account maintained by the corporation.
- (2) The amount deposited as above shall be transferred by the corporation at the end of the month under the heads prescribed in chapter 11 of these rules and the head wise details shall be sent to the Director and State Government.
- (3) Interest for the delayed payment, at the rate of 24% per annum or at the rate decided by the State Government from time to time, shall be payable.

Chapter -X

Illegal Mining, Transportation and Storage of Sand

20. Penalty and Compounding of cases of Illegal Mining.

(1) On receipt of information about illegal mining, the Collector or Officer authorised for this purpose, shall seize mineral, vehicle, machine, tools etc. and case shall be submitted, before the Collector. During the pendency or before taking final decision of the registered case, if any application for compounding the case is received, the Collector may dispose of the case after applicant depositing an amount equal to 25 times of royalty of the excavated mineral. During this period, if application/consent is not received, Collector shall impose penalty, 50 times of the royalty of mineral excavated. On deposit of compounding amount or penalty amount, the seized mineral, vehicle, machines, tools, may be released:

Provided that if penalty amount imposed is not deposited by the illegal extractor, then Collector or Officer authorised for this purpose may confiscate and auction the seized mineral, vehicle, machines and tools.

(2) Penalty and compounding of cases of illegal transportation. In case of registered cases of illegal transportation, transportation without valid e-tp and transportation with quantity more than the quantity entered in e-tp, the Collector may dispose off cases after deposit of compounding fees or amount of penalty by the illegal extractor, as under:-

N o.	Type of Vehicle	Transpor without Transit Compound ing Fees	valid	Transpor Transit Pa quantity i than qua entered in Pass Compound ing Fees	s more ntity Transit
1.	Tractor-	10000/-	25000/-	5000/-	10000/-
	Trolley				
2.	Two axle (б	25000/-	50000/-	10000/-	20000/-
	wheeler				
	vehicle)				-
3.	Dumper(hydr	50000/-	1,00,00	25000/-	50000/-
	aulic 6		0/-		·
	wheeler		-		
	vehicle)				1 00 00
4.	3 axle (10	1,00,000/-	2,00,00	50000/-	1,00,00
	wheeler		0/-		0/-
	vehicle)				2 00 00
5.	4-6 axle (More	2,00,000/-	4,00,00	1,00,000/-	2,00,00
	than 10		0/-		0/-
	wheeler				
	vehicle)				

Provided, compounding fees or amount of penalty in case of transportation of mineral by 4 wheeler vehicle (Matador, 407, 608 etc) carrying mineral more than the quantity of tractor-trolley, shall not be less than 1.5 times of the amount fixed for tractor-trolley.

Storage- The Collector, for disposal of registered cases of illegal storage of sand upon receipt of any application/consent from the date of registration of the case, during the pendency of the case or before taking the final decision, may compound the case after depositing amount equivalent to 25 times of royalty of the stored mineral. If during this period any application/consent is not received then the Collector may impose penalty of amount 50 times of the royalty of the mineral stored:

Provided, no such order shall be passed against the person interested, unless the opportunity of being heard is given to him.

Chapter-XI

Transfer of amount received from the mineral sand

- 21. Amount received from mineral sand. The whole amount received in the tender process of sand group and under these rules, shall be deposited in the account maintained by the corporation and thereafter every month the same shall be transferred, as follows:-
 - (1) Rs. 75/- per cubic meter for the concerned Gram Panchayat/Local Body to the State Government.
 - (2) Rs. 50/- per cubic meter, in the head of the District Mineral Foundation, to be made available to the Collector, to the State Government.
 - (3) For the first year (year 2019-20) 10% of amount received from tender premium shall be kept by corporation as incentive amount or for self expense/use. Remaining amount received from the tender premium shall be transferred to the State Government, every month. Re-fixation of the incentive amount to be kept by the corporation may be done

- every year by the Finance Department in the light of requirement of the corporation.
- (4) The amount of Rs. 75/- per cubic meter received from the permission to be granted on private land shall also be allotted to the concerned Gram Panchayat/Urban Body and balance amount along with tender premium received under this head shall be transferred as per sub-rule (3) of this rule.
- (5) If any Gram Panchayat or Nagar Panchayat receives income more than Rs. 25 Laks in a year from the mineral sand, the remaining amount shall be transferred in the head of District mineral foundation. The above limit of income shall not be applicable for Nagar Palika or Nagar Nigam.
- (6) Tax/fee etc. from the amount received shall be deposited in the prescribed head by the corporation.

Chapter-XII

Appeal and Revision

22. Appeal.-

(1) Any person aggrieved by an order passed under these rules by the Collector, may within sixty days of the date of communication of the order to him/her, may file appeal to Divisional Commissioner in **Form-IX**. The appeallant shall deposit a fee of Rupees 1000/-(Rupees one thousand only) in the head prescribed under these Rules and shall attach the original challan alongwith application:

Provided that any application for appeal may not be entertained by the appellate authority after the said period until the appellant satisfies the appellate authority that he/she has sufficient reason for not filing the application with in stipulated period.

(2) Where an appeal is submitted under these rules, the appellate authority may confirm, modify or set-aside the order passed under these rules or pass such other order in relation thereto, as it may deem just and proper:

Provided further that no order shall be passed against any person interested unless he/she has been given opportunity of being heard:

Provided further that, the Appellate Authority may at any time direct that the execution of the order against which appeal has been filed be stayed for such time as it may deem fit.

23. Revision.-

Any person aggrieved by an order passed under these (1)Divisional Commissioner, file may rules by application for revision in Form-IX before State sixty days of date the within Government, communication of the order to him/her. The revisionist shall deposit a fee of Rupees 1000/-(Rupees one thousand only) in the head prescribed and shall attach original challan alongwith the application:

Provided that any application for revision may not be entertained by the State Government after the said period until the revisionist satisfies to the State Government that he/she has sufficient reason for not filing the application for revision with in stipulated period.

(2) Where an application for revision is submitted under these rules, the State Government may confirm, modify or set-aside the order passed by the Appellate Authority or pass such other order in relation thereto, as it may deem just and proper:

Provided, no order shall be passed against any person interested, unless he/she has been given an opportunity of being heard:

Provided further that the State Government may at any time direct that the execution of the order passed by Appellate Authority be stayed for such time as it may deem fit.

- (3) The State Government at any time, may suo-moto revise any order passed by his subordinate officer or Appellate Authority.
- 24. Powers to rectify apparent mistakes. The officer may rectify the clerical or substantial error within six months from the date of the order passed by him, under these rules:

Provided that if such amendment, affects adversely to any party, will not be made, unless the concerned officer has given the notice of its intent to do so, to the concerned party and has given the reasonable opportunity of hearing to him:

Provided further that, in case of such orders in which more than six months period has lapsed, the officer may amend after taking permission from the State Government:

Provided also further that the State Government may order to amend such order at any time.

25. Powers to remove difficulties.-

- (1) If any difficulty arises in implementing the provisions of these rules, then the State Government may issue such instructions, which is not inconsistent with the provisions of these rules, to remove such difficulty.
- (2) The form and procedure mentioned in these rules shall be prescribed by the State Government.

26. Provisions for transition period.-

- (1) After commencement of these rules, there may be delay in complete execution of these rules, and due to non-operation of sand quarries, deficiency in supply of sand may result, hence these provisions are being made. Some of the sand quarries which were auctioned previously and are in operation, the period of those quarries is upto March 2022. Besides this, some quarries which have been handed over/allotted to Gram Panchayat under provision of Madhya Pradesh Sand Rules 2018 are also in operation at present, the contractors of the group shall start immediately proceedings of transfer of permissions under environmental rules of such quarries.
- (2) Other sand quarries transferred to panchayat in which operations have been started after the completion of formalities, all such quarries may remain date of start of operation be operated by Panchayat/Urban Bodies till 31st March 2020 or by the new group contractor from after execution of agreement, whichever is earlier.
- (3) From the date of commencement of these rules, the contractors of the auction quarries, may surrender the quarries. Surrender of such sand quarries shall be

- accepted, giving exemption in condition of agreement and security amount shall be refunded as per eligibility.
- (4) Such quarries which have been surrendered or the period has been expired, shall be deemed to be included in the group which have been identified at the time of inviting tender. The contractor of the group shall complete all the statutory formalities for operation of such included quarries. In respect of this new quarry included additionally in the group, the amount of royalty as calculated per cubic meter shall be paid on the basis of the highest tender amount received for that group. The period of new quarry included shall be up to the period of expiry of contract.
- (5) If during the period of operation of contract, any proposal for new quarry is received to the Collector, the Collector after such enquiry, as deems fit may include quarry in the nearest suitable group. The period of new quarry shall be the period of expiry of contract. The contractor of the group for despatch of sand from such new quarry shall deposit the amount on the basis of the highest tender amount received at the rate of per cubic meter for that group. Maximum of 25% of total permitted quantity for the group contract shall be allowed to be added in case of new quarry.
- (6) The group or quarries of the group remained vacant temporarily under the provisions of this rule or due to other reasons may, in public interest, be operated by

the department or by the corporation for ensuring availability of sand.

- 27. Repeal.- The provisions related to mineral sand contained in Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996, Madhya Pradesh (Prevention of Illegal mining, Transportation and Storage) Rules, 2006 and Madhya Pradesh Sand Rules, 2018 are repealed to the extent where it does not transgress to these rules.
- 28. In case of any clarification or discrepancies arising due to English translation of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019, Hindi version of the rules shall be acceptable.

FORM-I

[See Rule 8 (5)]

Online agreement/undertaking/consent letter before participation in tender

I.	shri/smt./ku.	***************	S/o,	D/0,	W/o	of	snri
•							natory
		resident of distr	ict		which	here	inafter
calle	d the tenderer v	which expression shall where t nistrators, representative and p	he conte	ext so adı	mits incl	ude h	is/her
mont	h yea	r 20 give consent/underta	king tha	t,-			•

- 1. Whereas, the tenderer has read the conditions laid down in tender documents regarding quarries etc. or understood before taking part in the tender process of quarry and admits that tenderer shall not be entitled to express ignorance of any of the said conditions.
- 2. The tenderer hereby agrees that,-
 - (a) Before submitting the tender, the tenderer has made spot inspection of the sand quarries included in the group and shall satisfy himself regarding all relevant aspects of the quarries like the approach road, available mineral quantity in quarries of the group etc.
 - (b) Before participating in the tender, tenderer shall deposit 25% amount of the upset price of group quarry in advance, which shall be termed as Security Amount.
 - (c) As soon as the tender process completes mine operation shall be made completing the formalities and amount due shall be paid in the prescribed period.
 - (d) State Government/Collector is not bound to except the highest tender amount, further that the State Government is free to except or reject highest tender received without assigning reason for that.
 - (e) Approved mining plan/environment management plan shall be submitted under Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule 2019 from the date of approval of contract within prescribed period. After completing these formalities and an agreement shall be executed in Form-..... along with the surety bond in Form-..... with in a period of 15 days failing which the concerning collector shall forfeit the installment of the contract amount and security amount deposited so:

Provided, where the State Government/Collector to their satisfaction are of opinion that the successful tenderer is not responsible for delay in execution of the agreement or completing the formalities then as the case may be State Government are any authorised officer may permit the execution of the agreement even after the expiry of the above period.

- I have carefully studied the Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rules 2019 and I shall comply with these.
- 4. Stamp duty and registration fees required for execution of agreement and furnishing surety bond shall be borne by me.
- 5. I promise that:

 - (b) If at any time before or after the execution of agreement it comes in the light that I do not have desired qualification to submit the tender then I shall be declared disqualify. If the contract is obtained by me/us on incorrect statement or information then my/our contract shall be cancelled. If letter of intent in my/our favor has been issued or the execution of the agreement by me/us has been made then for incorrect statement or information my/our sanction letter/agreement may be cancelled by giving notice in writing. As a consequence of such cancellation my/our security amount and other amount may be forfeited and there shall be right for taking any other action as per applicable laws or as per offered documents. I shall be liable for any laws caused to me/us due to cancellation.

Date	
Date	

Place:

(
Signature of tenderer
Name
Address
Mo. No
E-mail

FORM-II

[See Rule 8(8)]

THE MADHYA PRADESH STATE MINING CORPORATION LIMITED

(An Undertaking of Government of Madhya Pradesh)

	•								•
•	Sand/20.	/					Bhopal,	Dated	
To,									
		The Collector		Б.					
	•	District	(M.)	P.)					lan offen
Sub	ject:	Regarding th		ation of	highest t	enderer i	oasea on	the tend	ier oner
		received in e-							
Refe	rence:	e-Tender noti	ce no		dat	ed		*******	
		With reference	e to subj	ect above	it is to in	form that	under th	ie e-Tend	er notice
date	db	the hig	hest succ	cessful te	nderer a	nd the se	cond hig	hest tend	lerer are
		r the details g							
Sr.	Tenderer	Particulars of	Group	Tehsil	Village .	Details	Total	Upset	Highest
No.	Tenaciei	highest	No.			of	Area of	price	amount
		successful/				Khasra	the	fixed for	received
		second				Numbers	group (in	tender	in tender
		highest					hectare)	of the	of the
		tenderer						group	group
		(Name/	ĺ						1:
'		Address etc.)						(in	(in
								Rupee)	Rupee)
	TTION			<u> </u>				<u> </u>	
1.	Highest Successful		ł	ŀ					
	Tenderer								
	renações								
2.	Second								
	Highest								
	Tenderer			1			1		
L		<u> </u>	<u> </u>			l for	completi	ng the fo	rmalities
•		equested to is	sue the m	nstruction	is to con-	cernea ioi	complen	ing the io	imantics
as p	per the rul	e 11.	,						
							N.C.	minor Dine	- at a # /
								ging Dire	
•								utive Dir	
							M.P. St	ate Mini	ng Corp.
							•		
						Phone	al, Dated	÷	
		ıd/20/	*********			Ditopa	ai, Dalcu		•••••
Cop	y to:			. CD . 3.65	1 D	Dono	rtmont V	ollobh Bl	aman
1.	Princi	pal Secretary,	Govt. of I	MP, Mine	rai Resou	rces Depa	Illient, v	anaon Di	iawaii,
	Mantr	alaya for infor	mation.	7 477 F31	.1 6 1	e			
2.	Direct	or, Geology ar	id Mining	, MP Bno	par for in	iomation	, ufammatia	n and ne	CACCOMI
3.		st Successful	l'enderer	Shri		101 1	mormano	n and ne	ccssary
	lon.	1 771-1	danan Oha			for info	mation		•
4.	Secon	d Highest Ten	uerer sni	.1		101 111101	IIIGUQII.		
							Mana	iging Dir	ector/
								utive Di	

M.P. State Mining Corp.

Bhopal dated/20...

FORM-III See Rule 11(3) and 11(5)

Letter of Intent

No./8	8and/20.	Bhopal dated/20	
To,			
•••••			

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
<u>Sub</u> :	Sand Q	intent with reference to e-Tender No dated for Group arries of group No of	
1.	Backg	ound:	
	1.1.	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal pursuant to the Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rules, 2019 issued the e-Tender notice dated, 2019 to commence the tender process for grant of Group Quarries of Sand for group No	
2.	Issuai	ce of Letter of Intent :	
issue Distr	rdingly, ped for gr rict over	ursuant to Rule 11(3) and 11(5) of the said Rules, this Letter of Intent is being ant of group quarries of for sand in villages,	
3.	Condi	tions:	
	3.1.	This letter of intent and the subsequent grant of aforementioned group quarries shall be subject to the provisions of these Rules, as amended from time to time, and Shri/Ms is declared as 'Highest Successful Tenderer' and subsequently granted the group quarries upon satisfactory	

completion of all the requirements under these Rules.

case may be, shall be applicable.

3.2.

For reference, the requirements under the said Rules for declaration of

Shri/Ms..... as the Highest Successful Tenderer and subsequent grant of the group quarry are reiterated below. It is clarified that the requirements mentioned below are only for reference and in the event of any change in the said Rules, the requirements under the modified Rules, as the

- (a) <u>Declaration as the "Highest Successful Tenderer":</u> shri/Ms shall be considered to be the 'Highest Successful Tenderer' upon:
 - (i) Compliance of terms and conditions of Rules;
 - (ii) Payment of 50% amount of annual contract amount. furnishing as per Rules;
 - (iii) Satisfying the conditions specified in sub-rule (1) to sub-rule (7) of rule 12 of the said rules with respect to a mining plan and other statutory compliances.

The duplicate copy of this Letter of Intent duly signed by authorized signatory of the Tenderer/Company shall be returnable to the undersigned as token of acceptance, within a period of 07 days.

Collector

District

FORM-IV

[See Rule 13(1)]

FORMAT FOR ANNUAL ACTION PLAN

Distict/Tehsil/Village

Details of the Quarter	Sr.No.	Detail of the quarry included in the group (Village)	Quarry wise quantity estimated as per tender document (in cubic meter)	Quantity approved in Mining Plan (in cubic meter)	Quantity sanctioned in EC (in cubic meter)	Quantity sanctioned in CTO (in cubic meter)	Quarry wise permissible quantity (in cubic meter) (out of 5, 6 &7 whichever is minimum)	Total quantity permissible for the group (in cubic meter) (Sum of al minimum permissible quantity)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
First	1							·
Quarter (From 1st	2							
July to 30 th September)	3							·
Second	1							
Quarter (From 1sf October to	2							
31st December)	3		·					
Third	1							
Quarter (From 1st	2							
January to 31st March)	3							
Fourth Quarter	1							
(From 1st April to 30th	2							
June)	3							
Place-								
Date-								
Date					· •			
						•	ature of the Contractor	Group
					at .	*****	Address-	*******
							Group No.	

FORM-V

[See Rule 13 (2)]

Contract Agreement for Sand Quarry

the G include Shri/S 	e his mt./Ku. hereinaf e his/he	of Madhya Pra (hereinaft s/her successo Son/wife ter called the cont r heirs, executors,	desh acting through er referred to as the rs in office of daughter of rector which expression	to thousand and between the Collector Dis Governor) which expression and the one part sident of tahsil dis shall where the context so add entatives and permitted assignation to	strict shall and strict lmits			
1.	to pay to called amount amount observe	the tender amount the contract amount t) and Rs t payable in the co ance of the terms	Rs annually, unt and has paid Rs as security deposit, ar ontract period, which a and conditions of the	which amount shall hereinafted which amount shall hereinafted which amount shall hereinafted which are earnest money (see and Rs equivalent to we mount shall be kept in deposite contract and shall be liable econtract agreement, and	er be urity vhole it for			
	sand qu	arry the plan of w	hich is annexed, the are	nctioned tenderer a contract fo ea of which ishectare edule 'A' which shall hencefort	and			
2.	Now this indenture witnesses that in consideration of the contract amount, royalties, rents and other payments and in consideration of and subject to the conditions, covenants and agreement, the contractor shall have the liberty to enter, occupy and use the area grated for quarrying purposes and to carry away and sell the mineral or its products subject to the condition that the Collector shall at all times throughout the term of the contract have the right of pre-emption at the prevailing fair market price the products lying within the quarry or elsewhere under the control of the contractor.							
3.	The contractor shall occupy and take possession of the land hereby demised to tenderer in pursuance of this agreement from the period commencing fromto							
4.			t the boundaries of the centre of the earth.	e area hereby demised shall	run			
5. (1)			ay the annual contract the date shown below:-		in			
	Sr.No.	Installment number	Amount of installment (in rupees)	Date of depositing the installment				
	(1)	(2)	(3)	(4)				
	1							

Provided the contractor shall first deposit the contract amount and other entire amounts relating to the sand quarry in an account operated by Madhya Pradesh State Mining Corporation for this purpose:

Provided that, if the contractor fails to deposit the installments on the due dates issuance of e-TP for allotted group quarries in favor of contractor shall be stopped and the operation of the quarry shall be prohibited and a show cause notice of such intention shall be issued to the contractor in failing the amount to be deposited that why the contract may not be cancelled:

Provided further, within stipulated time of 30 days required to deposit installment by giving a reply to the show cause notice the collector may permit for operation of quarry after depositing installment/installments along with interest on period of delay at the rate of 24 percent per annum:

Provided further that, within a period of 30 days as above if the contractor fails the deposit the amount, the collector shall issue of laps and send a request to Government for retender. Prior to the publication of the tender notice the contractor along with 24% interest per annum may pay all the dues. The contract shall be completely deemed to be cancelled on the release of new tender publication.

Provided further also, unless the amount of installment including interest is received issuance of e-TP for allotted group quarries in favor of contractor shall remain prohibited.

(2) The contractor, shall extract and carry away quantity of sand permissible in Mining Plan, Environmental Clearance and Water & Air Consent (whichever is less) in lieu of the contract amount:

Provided, if the contractor extracts or carries away any quantity exceeding the prescribed quantity, he/she shall be liable to pay value for such excess quantity extracted or carried away.

Provided that, If in any year the excavated quantity is 20 percent less than the quantity mentioned in approved mining plan then this quantity shall be permitted to be removed in ensuing year but the difference in contract money of that year for the quantity carried over shall be deposited. The approved mining plan shall be revised and the annual contract money shall be revised proportionately. In case of revision of mining plan, environment permission shall be obtained as required. Excavation of quantity mentioned in approved mining plan in contract period shall be mandatory otherwise the security amount so deposited may be forfeited.

Provided further that, if the contractor in any year desires to take away the quantity more than the permissible quantity of that year (not more than 20%) then as per the proposal he shall require to revise/modify the approve mining plan and environmental permission and this increased quantity shall be adjusted against the permissible quantity of the next year. In no case, the permission for dispatch of excess quantity than the permissible quantity for contract period shall be given.

(3) In case the contractor extracts the quantity more than the quantity mentioned in Annual Working Plan for that quarter then notwithstanding anything contained in para (1) above he/she shall be liable to pay amount for excess quantity of such extraction and difference of the amount paid for quarterly installments within 30 days, failing which, the further dispatch of mineral shall be stopped:

Provided, the contractor fails to make payment of the amount on the due date, then he/she shall be liable to pay the due amount/amounts along with interest at the rate of 24 per cent per annum. (Repeat In 5(1) Proviso 2 and)

- 6. The contractor shall first deposit the contract amount and other entire amounts relating to the sand quarry in an account operated by Madhya Pradesh State Mining Corporation for this purpose.
- 7. In the event of the contract amount and other dues which are payable under the terms of this agreement remain unpaid for more than two months from the due dates then the Collector or any officer authorised by him/her shall be empowered to enter upon the premises and to seize and carry away mineral and/or its product and/or the movable property in the quarry.
- 8. If any contract amount or any other dues under this agreement remains unpaid by the contractor for more than one month, then the Collector shall send the proposal to cancel the contract to State Government and the decision of the State Government shall be final and binding.
- 9. The contractor shall be entitled to erect such temporary buildings etc. nearby the quarry as may be required for quarrying purposes and to remove the same before the expiry of the contract. In the event of not doing so, any such building etc. standing on the land nearby the quarry after the expiry of the contract shall be the property of the State Government and that the contractor shall have no right to claim compensation thereof.
- 10. The contractor shall at his/her own expense erect and at all time maintain and keep in repair boundary marks and pillars along the boundaries of the demised lands.
- 11. The contractor shall not assign or sublet the land or any part thereof or transfer the rights/privileges granted under contract.
 - 12. The contractor shall be responsible for maintaining the proper sanitation of the land granted to him/her under this agreement.
 - 13. The contractor shall be bound by all rules and regulations in force and such other conditions as the Government may from time to time impose.
 - 14. The contractor shall be bound to take adequate measures for the health and safety of the persons working in the quarry.
 - 15. The contractor shall honor the rights regarding road, water and other easements.
 - 16. The Government shall have the right to make surface roads or other contrivance for establishing means of communications over the leased area and the contractor shall have no right to claim compensation thereof.
- 17. The contractor shall carryout the mining operations in accordance with the approved mining plan and extraction of sand and Bajri shall be done maximum upto 3 meters or upto water level whichever is less, from the surface of mining. But excavation within the river/nalla shall be prohibited.
 - 18. The contractor shall maintain correct accounts showing the quantity and particulars of the mineral obtained from the quarry and sold or dispatched and the number of

persons employed therein and also a complete plan of the quarry and shall allow any officer authorised by the Government/Collector at any time to examine such accounts and plans and shall furnish the same during inspection or on demand by such competent officer.

19. The contractor shall submit monthly returns in the proforma below before the 7th day of each month to the Collector.

Month	Opening stock of the mineral extracted	Quantity of the mineral extracted during the month	Quantity of the mineral dispatched during the month	Quantity of the mineral sold during the month	closing stock of the mineral at the end of the month	Average number of laborers employed during the month	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

- 20. The contractor shall report any accident occurred in the quarry area to the concerned District Magistrate forthwith.
- 21. The contractor shall have no claim against the Collector for compensation or damages and in respect of modification in contract amount of sand quarry included in the contract, due to approach road, availability of mineral and any other reason.
- 22. If the contractor is desirous of determining the contract before the completion of the period of contract, he/she shall give six months written notice of such intention to the Collector. On the expiry of above period and in case of any dues not remain outstanding against the contractor the State Government on the proposal of the Collector shall accept the surrender and the security deposit shall be refundable. The annual contract amount for the said period shall be compulsorily deposited by the contractor; in this period mining operations may be conducted. Once, the application for surrender is submitted the same shall be irrevocable. The corporation shall restart the process of re-tender for the group after receiving the information of the surrender:
- 23. The contractor shall not use the lands given to him/her under this agreement for any purpose other than those for which the contract has been given.
- 24.(1) In the event of a war or state of emergency the Government shall have the right to take possession of the quarry, articles, land, machinery, plants, buildings and material and in such event the contractor shall have no claim to any compensation.
- (2) The State Government shall have the right to take possession of the quarry before completion of the contract in public interest:

Provided that, before taking possession one month's notice shall be given to the contractor.

- 25. If a dispute is arising out of and/or in connection with and/or in relation to this contract, the decision of the State Government shall be final and binding.
- 26. Resumption of Possession. (1) Where any sand quarry is cancelled or determined or a decision is taken to resume possession of the quarry in the public interest or the period for which the sand quarry is granted has expired, the contractor shall hand over possession of the sand quarry to Collector in which the sand quarry/group or major portion thereof is situated within a period of seven days from the date of cancellation or determination or decision to take back possession in the public interest is communicated or on the day following the date of expiry of the period of contract of the quarry, as the case may be.
 - (2) Where the contractor fails to hand over possession of the sand quarry/group within the period specified in sub-clause (1), the Collector or an Officer authorised by him/her shall serve or cause to be served a notice on the contractor either by post or by tendering or delivering the copy of it personally to the contractor or one of his/her family members or servants or by affixing it to a conspicuous part of the place of his/her residence or place of business or publishing it in at least one newspaper having circulation in the locality where the contractor resides.
 - (3) The notice under sub-clause (2) shall contain a statement that the contractor shall hand over possession of the sand quarry/group to the Collector or an Officer authorised by him/her under sub-clause (1) within a period of seven days of the date of service of the notice.
 - (4) Where a contractor fails to hand over possession of the sand quarry/group within the period specified in the notice under sub-clause (2), the Collector or an Officer authorised by him/her under sub-clause (1), may take possession of the sand quarry from the contractor and for that purpose may use such force as may be considered necessary.
 - (5) If on the expiry of the period of the contract, a contractor fails to hand over possession on the next day, the contractor shall abide by all the conditions of the agreement till the possession is taken back.
- 27. If the contractor contravenes the conditions of the agreement, the Collector shall have the right to forfeit the security amount or part thereof deposited by the Contractor.
- 28. The contractor shall issue a transit pass prescribed by the State Government for each trip for each vehicle carrying the mineral or its product from the quarry.
- e-Tender document, agreement etc. will be the integral part of this contract.
- 30. It is hereby demised under the agreement that in case the contractor fulfils all the terms and conditions hereby contained and mentioned above then the amount security deposit of Rs....... (earnest money) which the contractor has deposited shall be refunded to him/her by the Collector.

Schedule A

(See paragraph 1)

District	Tahsil	Name of the Group/Number	Village (were quarry is situated)	Khasra No.	Area (in hectare)
(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)	(6)

Signature with full name,	
address and occupation o	f
the witnesses	

- 1.
- 2.

Signature with full name, address and occupation of the witnesses

- 1.
- 2.

Signature	of th	ne Co	llecto	•
District				

(Seal)

Name; address and signature of the contractor.

FORM-VI

[See Rule 13 (2)]

Surety Bond

	Know all Men By These Presents, that I,
	As witness I have set out my hand, this day month year two thousand and
9	Whereas, Shri/Smt/KuW/o,D/o,S/o of Shri/Smtresident ofin the tehsilor the district(hereinafter called the contractor) has, on the basis of tender submitted by him, been granted quarry for (mineral) over an area ofhectares in village
	And whereas the contractor has agreed to execute the prescribed agreement with the Collector/Additional Collector (Senior I.A.S. Scale).
	And whereas by virtue of the agreement to be executed between the Collector/Additional Collector (Senior I.A.S. Scale) (contractoror) and Contractor, the said contractor is required to pay regularly and timely the contract amount and any other dues arising out of the contract.
	And whereas the Collector/Additional Collector (Senior I.A.S. Scale) has asked Shri/Smt/Ku
	Details of the property
	ValueValue
	And the conditions of the Bond is such that if the contractor shall die or become insolvent or at any time ceases to pay the contract amount or any other dues arising out of the said contract, any such due on this account under this contract shall immediately become due and payable to the Collector/Additional Collector (Senior I.A.S. Scale) district

and the same will be recovered from my property detailed above as an arrear of land

revenue in one installment by virtue of this Bond.

And I, further declare that I will not sell, mortage, gift or transfer in any other manner and will not act in any way to dispose off the above property till this bond is in force.							
In witness whereof the said has signed her	reinto on day of Two thousand and						
Signature with full name address and occupation of the witness.	Signature of the surety						
1	Verified and found correct has signed this Bond today in my presence Executive, Magistrate.						

FORM-VII

[See Rule 17 (3)]

Application for permit for sand available in private land

Sender	***************************************					
To,						
	Collector,	•				
•	Mining Section					
	District					
Sir/Ma	dam,	•				
tender State C	I/We am/are the valid of at village Tehsi amount of sand payable at sovernment by me/us, in vate land, the details of which	l District t the rate of Rs vicinity to my/our sar	and as p per cubic meter is	er the sanctioned being paid to the sand is available		
Sr. No.	Village	Khasra No.	Area (Hectare)	Remark		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
2.	I/We request for grant of pland.					
3.	The required application fe		s been deposited vie	de challan no.		
4.	Other required details:-					
	(1) Name of the Applic	ant/Address				
	(2) Mobile Number/E-					
	(3) Business of applica	ant				
	(4) Affidavit of the land(5) Affidavit of application	d owner of the applied nt (for mining dues or	l land for the conse any other govt due	nt (be enclosed) es) for no dues (be		
	enclosed)					
Date:	(6) Other details (Appl	icant desire to submi	t)			
Place:			Signatu	re of Applicant		
•			Name			

	·		Address			

FORM-VIII

[See Rule 18(7)(i)]

Application for grant of storage license of sand

To,						
	Collector,					
	District					
applica	S/o,D/o,W/o Shri/Smt					
(1)	The challan No. of the application fee date (original copy of the challan is attached).					
(2)	Map and Khasra Panchsala of the place of storage					
(3)	Affidavit stating that no mineral revenue or govt. dues is outstanding against me/firm/company (be enclosed).					
(4)	That the place of storage belongs to me/belongs to others and the consent of the land owner for storing the mineral has been obtained by me the affidavit of the concerned land owner is attached.					
(5)	In case the storage place is govt. land, NoC of Tahsildar of such intension that the land (storage place) is not reserved for any plan/scheme.					
, may b	The information given above is correct. I know that the legal proceedings against me initiated if information given is found incorrect.					
Date:						
Place:	Signature of Applicant					
	Name					
	······································					
	Address					
	Group quarry No					
	District					
	••••••					

FORM-IX

[See Rule 22(1) and 23(1)

Application for Appeal/Revision

(to be submitted in duplicate)

To,						
		•••••				
		********			· •	
	•				·	A
1.	Name	and	Address		of	Applicant
2.	Name of authority, application is filed.				which the	appeal/revision
3.	Appeal/Revision challan		number 	and	date o	f treasury
	(enclosed original tr	easury challar	ı).			
4.	Ground		of		;	appeal/revision
5.	Any additional	information		applicant	desires	to furnish
6.	In case the applicommunication		opeal/revisio		d after 60 reason	days of the of delay
Date:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Place	:				Signature	of Applicant
·	•				Name of A	pplicant

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सिरता बाला ओम प्रजापति, उपसचिव.